



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27112020-223357
CG-DL-E-27112020-223357

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 341]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 26, 2020/आग्रहायण 5, 1942

No. 341]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 26, 2020/AGRAHAYANA 5, 1942

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2020

अंतिम जांच परिणाम

एम टी आर मामला सं. 01/2020

विषय : चीन. जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कुछ विशिष्ट फ्लोट ग्लास पर लगाए गए निश्चित पाटन रोधी शुल्क के उत्पाद क्षेत्र की समीक्षा करने के लिए मध्यवर्ती समीक्षा ।

फा. सं. 07/04/2020—डीजीटीआर.—1. महालक्ष्मी डाइस एंड केमिकल्स लि. (जिसे यहां "याचिकाकर्ता" अथवा "आवेदक" भी कहा गया है) ने चीन जन. गण. (जिसे यहां संबद्ध देश भी कहा गया है) से "क्लियर साथ ही टिंटीड प्रकार के (ग्रीन ग्लास के अतिरिक्त) 2 मि.मी. से 12 मि.मी. (दोनों मोटाई शामिल हैं) मोटाई वाले फ्लोट ग्लास किंतु जिनमें सजावटी, औद्योगिक अथवा ऑटोमोटिव प्रयोजनों के लिए अभिप्रेरित रिफ्लेक्टिव ग्लास, प्रोसेस्ड ग्लास शामिल नहीं हैं" के आयातों पर लगाए गए पाटन रोधी शुल्क की सीमा से "अतिरिक्त क्लियर फ्लोट ग्लास" (जिसे यहां "ई सी एफ जी" अथवा "समीक्षाधीन उत्पाद" कहा गया है) को शामिल न करने की मांग करते हुए एक मध्यवर्ती पुनरीक्षा आवेदन दायर किया है। चीन जन.गण. से ई एफ सी जी पर, इस समय दिनांक 08.09.2015 की अधिसूचना सं. 47/2015 – सीमा शुल्क (ए डी

डी) के अनुसार पाटन रोधी शुल्क लागू है। वर्तमान शुल्क 7.9.2020 तक लागू थे और उन्हें दिनांक 02.09.2020 की अधिसूचना सं. 29/2020- सीमा शुल्क (एडीडी) के तहत 7.12.2020 तक 03 माह के लिए बढ़ाया गया था।

पृष्ठभूमि

2. जांच शुरुआत अधिसूचना सं. 14/19/2002 – डी जी ए डी दिनांक 05.07.2002 के अनुसार, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन जन.गण. और इंडोनेशिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "विशिष्ट फ्लोट ग्लास" के आयात के संबंध में एक पाटन रोधी जांच की शुरुआत की। प्रारंभिक जांच परिणामों को प्राधिकारी द्वारा अधिसूचना सं. 14/19/2002 – डी जी ए डी दिनांक 20.11.2002 के अनुसार जारी किया गया था और वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचना सं. 7/2003 – सीमा शुल्क दिनांक 7.1.2003 के अनुसार अंतिम शुल्क लागू किया गया था। प्राधिकारी द्वारा चीन जन. गण. और इंडोनेशिया से "क्लियर साथ ही टिंटेड प्रकार के (ग्रीन ग्लास के अतिरिक्त) 2 मि.मी. से 12 मि.मी. (दोनों मोटाई शामिल हैं) मोटाई वाले फ्लोट ग्लास किंतु जिनमें सजावटी, औद्योगिक अथवा ऑटोमोटिव प्रयोजनों के लिए अभिप्रेरित रिफ्लेक्टव ग्लास, प्रोसेस्ड ग्लास शामिल नहीं है" के आयातों पर पाटन रोधी शुल्क की सिफारिश करते हुए अधिसूचना सं. 14/19/2002 – डी जी ए डी दिनांक 22.08.2003 के अनुसार, अंतिम जांच परिणाम जारी किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने सिफारिश को स्वीकार किया और अंतिम शुल्क अधिरोपण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए दिनांक 12.11.2003 की अधिसूचना सं. 165/2003 – सीमा शुल्क के अनुसार निश्चित पाटन रोधी शुल्क लागू किया।
3. उक्त शुल्क के समाप्त होने से पूर्व, घरेलू उद्योग से प्राप्त आवेदन के आधार पर, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पहली निर्णायक समीक्षा आयोजित की। जांच के बाद, चीन जन.गण. और इंडोनेशिया से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटन रोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश करते हुए दिनांक 2.12.2008 की अधिसूचना सं. 15/01/2007 – डी जी ए डी के अनुसार प्राधिकारी द्वारा अंतिम जांच परिणाम जारी किए गए। वित्त मंत्रालय ने सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 04/2009 – सीमा शुल्क दिनांक 6.1.2009 जारी की और दिनांक 5.1.2014 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए संबद्ध देशों के मूल अथवा से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटन रोधी शुल्क को जारी रखा।
4. इसके अलावा, सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 04/2009 – सीमा शुल्क दिनांक 6.1.2009 के अनुसार लागू शुल्क की समाप्ति से पूर्व, घरेलू उद्योग से प्राप्त आवेदन के आधार पर, प्राधिकारी ने अधिसूचना सं. 15/24/2013 - डी जी ए डी दिनांक 3.1.2014 के अनुसार दूसरी निर्णायक जांच समीक्षा आरंभ की, पुनरीक्षा के लंबित होने के दौरान, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटन रोधी शुल्क की वैधता को अधिसूचना सं. 07/2014 – सीमा शुल्क (ए डी डी) दिनांक 23.1.2014 के अनुसार दिनांक 5.1.2015 तक और उसे शामिल कर वित्त मंत्रालय द्वारा विस्तार किया गया।
5. अंतिम जांच परिणामों को अधिसूचना सं. 15/24/2013 डी जी ए डी दिनांक 2.7.2015 के अनुसार जारी किया गया और निर्दिष्ट अधिकारी ने चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विशिष्ट फ्लोट ग्लास के आयातों पर अमेरिकी डॉलर 218/मी.टन की दर पर निश्चित पाटन रोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इंडोनेशिया के विरुद्ध पाटन रोधी शुल्क को वापस लेने की सिफारिश भी की। उक्त सिफारिश को वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचना सं. 47/2015 – सीमा शुल्क (ए डी डी) दिनांक 8.9.2015 के अनुसार अधिसूचना जारी करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए क्रियान्वित किया गया। पाटन रोधी शुल्क 7.9.2020 तक प्रवृत्त था और दिनांक 2.9.2020 की अधिसूचना सं. 29/2020 – सीमा शुल्क (ए डी डी) के अनुसार तीन महीनों अर्थात् 7.12.2020 तक बढ़ाया गया है।

प्रक्रिया

6. संबद्ध जांच के संबंध में प्राधिकारी द्वारा यहां नीचे दी गई प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है:-
 - i. प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के आयात के संबंध में पाटन रोधी जांच की मध्यवर्ती समीक्षा को आरंभ करते हुए, भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 10.02.2020 को एक पब्लिक नोटिस जारी किया।
 - ii. प्राधिकारी ने भारत में चीन जन. गण. के दूतावास को संबद्ध जांच की शुरुआत के बारे में सूचित किया और संबंधित निर्यातकों/उत्पादकों के साथ आगे परिचलन के लिए अनुरोध किया।

- iii. प्राधिकारी ने मै. सेंट गोबाइन इंडिया प्रा. लि., मै. सिसैकैम फ्लैट ग्लास इंडिया लि., मै. गोल्ड प्लस ग्लास इंडस्ट्री लि. और मै. असाही इंडिया ग्लास लि. पर मूल जांच में घरेलू उद्योग के रूप में विचार करते हुए याचिका की अगोपनीय प्रतियां उपलब्ध कराईं।
- iv. प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रखी गई एक सार्वजनिक फाइल के रूप में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया। साथ ही, वैश्विक महामारी और भौतिक रूप से पहुंच न होने को भी ध्यान में रखते हुए, सभी हितबद्ध पक्षकारों से ई मेल के द्वारा अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ उनके निवेदनों के अगोपनीय पाठों को शेयर करने के लिए अनुरोध किया गया।
- v. प्राधिकारी ने आवेदक आयातक द्वारा उसके आवेदन में किए गए दावों का सत्यापन करने के लिए संभव सीमा तक आवेदक और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना की जांच की है।
- vi. चूंकि, याचिका एक विशेष प्रकार के विचाराधीन उत्पाद को शामिल न करने के सीमित प्रयोजन के संबंध में है, प्राधिकारी ने न तो पाटन न क्षति की मात्रा का आकलन करने के लिए प्रस्ताव नहीं किया, इसलिए पी ओ आई के निर्धारण की जरूरत नहीं थी।
- vii. आवेदक आयातक और घरेलू उद्योग से अनिवार्य समझी गई सीमा तक और अधिक सूचना मांगी गई थी। जांच के प्रयोजनार्थ अनिवार्य समझे गए आवेदक आयातक आंकड़ों और दावों का सत्यापन आयोजित किया गया।
- viii. जांच के प्रयोजनार्थ आवश्यक समझे गए घरेलू उद्योग के आंकड़ों और दावों का सत्यापन भी किया गया।
- ix. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसरण में, प्राधिकारी ने दिनांक 20.10.2020 को आयोजित मौखिक सुनवाई में हितबद्ध पक्षकारों को उनके विचार प्रस्तुत करने का अवसर भी प्रदान किया। जिन पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किए थे, उनसे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए अपने विचारों के लिखित निवेदन को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया, जिसके बाद प्रत्युत्तर निवेदन प्रस्तुत किए गए।
- x. नियमावली के अनुसरण में, प्राधिकारी ने मामले के जरूरी तथ्यों को प्रकट किया, जिससे पहले ही दिनांक 17.11.2020 के प्रकटीकरण विवरण के रूप में अपने परिणामों के आधार का निर्माण किया और इस पर 24.11.2020 तक हितबद्ध पक्षकारों को टिप्पणियां करने की अनुमति दी गई। हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियों पर प्राधिकारी द्वारा संगत समझे जाने की सीमा तक विचार किया गया है और इस जांच परिणाम में उल्लेख किया गया है।
- xi. इस जांच परिणाम में "****" गोपनीय आधार पर किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत की गई और नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा ऐसी समझी गई सूचना को प्रस्तुत करता है।

विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

आवेदक द्वारा किए गए निवेदन

7. आवेदक द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- क. मूल जांच में परिभाषित विचाराधीन उत्पाद "क्लियर साथ ही टिंटेड प्रकार का (ग्रीन ग्लास के अतिरिक्त अन्य) 2 मि.मी. से 12 मि.मी. (दोनों मोटाई शामिल) के फ्लोट ग्लास किंतु इसमें सजावटी, औद्योगिक अथवा ऑटोमोटिव प्रयोजन के लिए अभिप्रेरित रिफ्लेक्टिव ग्लास, प्रोसेस्ड ग्लास शामिल नहीं हैं।" दोनों, सामान्य फ्लोट ग्लास और अतिरिक्त क्लियर फ्लोट ग्लास, को सीमा शुल्क वर्गीकरण के अनुसार सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 70 और बाद में 7005 के तहत "ग्लास और ग्लास वेयर" श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।
- ख. आवेदक ने यह दावा करते हुए "ई सी एफ जी" को शामिल न करने की मांग की है कि उक्त उत्पाद, उत्पाद क्षेत्र का भाग नहीं है जैसा कि दिनांक 02.07.2015 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 15/24/2013 – डी जी ए डी में निर्धारित किया गया है।

- ग. आवेदक ने ई सी एफ जी को "अतिरिक्त क्लियर, लो आयरन फ्लोट ग्लास के रूप में परिभाषित किया है जो वास्तव में सामान्यतः किनारे पर नगण्य ग्रीनिश टिंट विजीबल और ग्लास में आयरन तत्व को कम करने के द्वारा प्राप्त पारदर्शिता और हल्के पारेषण की उच्च मात्रा रखने वाला एक रंगहीन पदार्थ है। अतिरिक्त क्लियर फ्लोट ग्लास को बाजार में "अल्ट्रा क्लियर फ्लोट ग्लास" अथवा "लो आयरन फ्लोट ग्लास" (समीक्षाधीन उत्पाद के रूप में भी उल्लेखित) के रूप में जाना जाता है।
- घ. आवेदक ने डी आई पी पी, वाणिज्य मंत्रालय से प्राप्त दिनांक 16.08.2018 के आर टी आई उत्तर पर विश्वास जताया है। आगे यह निवेदन किया जाता है कि सेस्टेट (अहमदाबाद) ने भी भी एफ जी के तुलना में भिन्न उत्पाद होने के कारण ई सी एफ जी पर जाजू आर्किटेक्चरल ग्लास प्रा. लि. बनाम सी. सी. – अहमदाबाद मामले में स्पष्ट निर्णय दिया है और इसे डी जी टी आर द्वारा अपनाया जाना है।
- ङ. कीमतों, तकनीकी पहलुओं जैसे कच्ची सामग्री गठन, उत्पाद प्रक्रिया, भौतिक और रसायनिक गुणधर्मों और विशेषताओं के रूप में सी एफ जी और ई सी एफ जी के बीच उल्लेखनीय अंतर है।
- च. कि घरेलू उद्योग को किसी क्षति का सामना नहीं करना पड़ेगा यदि ई सी एफ जी को पाटन रोधी शुल्क की वसूली से निकाल दिया जाता है क्योंकि बहिष्करण का घरेलू उद्योग पर कोई क्षतिकारक प्रभाव नहीं होता। भारत में ई सी एफ जी की मांग कम है और घरेलू उद्योग को कोई भारी क्षति नहीं होगी क्योंकि इसका आयात कुल आयातों के 1% से भी कम है। इसी प्रकार, कीमत के रूप में घरेलू उद्योग पर किसी विपरीत कीमत प्रभाव की कोई संभावना नहीं है क्योंकि ई सी एफ जी आयातों की कीमतें भारतीय उत्पादकों द्वारा विनिर्मित और बेचे गए सी एफ जी के 2.5 गुणा से भी ज्यादा है।
- छ. कि ई सी एफ जी के लिए एक पृथक बी आई एस मानक प्रस्तावित किया गया है और आवेदकों ने बहिष्करण के लिए अपने अनुरोध को प्रमाणित करने के लिए फरवरी, 2019 में जारी किए गए ई सी एफ जी के लिए उक्त प्रारूप बी आई एस पर विश्वास किया है। ऐसा ही विश्वास आस्ट्रेलियन ए डी आयोग पर किया गया था, जिसमें आस्ट्रेलियन प्राधिकारी ने पाटन रोधी शुल्क के क्षेत्र से लो आयरन ग्लास को बहिष्कृत किया है।
- ज. कि प्राधिकारी ने हाल ही में जारी अंतिम जांच परिणाम में लो मेल्टिंग यार्न को बहिष्कृत किया है क्योंकि घरेलू उद्योग ने यह स्वीकार किया है कि उन्होंने इसका उत्पादन नहीं किया है हालांकि, वे इसकी आपूर्ति करने की क्षमता धारित करते हैं और घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति न करने का एकमात्र कारण प्रयोक्ताओं से आदेशों की कमी और यह तथ्य है कि ऐसे यार्न की कीमत अन्य यार्नों की कीमत की तुलना में बहुत अधिक है। समान भरोसा इंडियन रिफ्रेक्टरी मेकर्स एसोसिएशन 2000 (119) ई एल टी 319 (टी आर आई) में सेस्टिट द्वारा दिए गए निर्णय पर भी किया गया था।
- झ. यह कि घरेलू उत्पादकों के तर्क में कोई तथ्य नहीं है कि चीनी उत्पादकों का भाग न लेना यह दर्शाता है कि पी यू आर और पी यू सी में कोई अंतर नहीं है क्योंकि वे बाजार अनुसंधान और अन्य स्रोतों से सूचना प्राप्त करते हैं उन्होंने चीनी उत्पादक द्वारा दी गई सूचना को भी शामिल किया है जो कहते हैं कि ई सी एफ जी को 2005 से पहले व्यापारिक रूप से उत्पादित नहीं किया था और भौतिक और विनिर्माण प्रक्रियावार शर्तों में ई सी एफ जी और सी एफ जी में महत्वपूर्ण अंतर है।
- ञ. कि जी टी आर द्वारा जारी एस ओ पी की आचार संहिता में भी यह व्यवस्था की गई है, किसी उत्पादन या व्यापारिक बिक्री के बिना सिर्फ प्रतिस्पर्धा ही पी यू सी की परिभाषा में किसी वस्तु को शामिल करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
- ट. कि घरेलू उद्योग ई सी एफ जी का उत्पादन नहीं करता है और इसलिए प्राधिकारी के लगातार अभ्यास के अनुसार इसे शामिल नहीं किया जाना चाहिए। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि पहले ही कोई 'असमान वस्तु' कभी भी विचाराधीन उत्पाद का भाग नहीं बन सकता और इसलिए पाटन रोधी शुल्कों को अधीन नहीं रखा जा सकता।

भाग लेने वाले घरेलू उत्पादक द्वारा किए गए निवेदन**8. घरेलू उत्पादकों ने निम्नलिखित निवेदन किए हैं:-**

- क. यह कि चूंकि घरेलू उत्पादकों में से एक ने वास्तव में ई सी एफ जी का उत्पादन और बिक्री की है इसलिए पी यू सी के क्षेत्र से ई सी एफ जी का बहिष्करण करने को प्राधिकारी के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। आगे यह निवेदन किया गया है कि पी यू सी के अन्य उत्पादकों के पास भी पी यू आर का उत्पादन करने की क्षमता है जो इस बिंदु का भी समर्थन करता है कि पी यू आर को पी यू सी के क्षेत्र से बाहर नहीं किया जा सकता। यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदकों के लिखित निवेदन में भी, कई स्थानों पर आवेदकों ने स्वयं स्वीकार किया है कि घरेलू उत्पादक निश्चय ही पी यू सी साथ ही पी यू आर का भी उत्पादन कर रहे हैं।
- ख. यह कि यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि किसी भी निर्यातक ने समान उत्पाद, विनिर्माण प्रक्रिया, कच्ची सामग्री, प्रौद्योगिकी में अंतर, पी यू सी और पी यू आर से संबंधित लागत, जो उत्पाद को शामिल न करने के संबंध में सीमित मध्यवर्ती पुनरीक्षा जांच में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, से संबंधित निष्कर्ष पर पहुंचने में प्राधिकारी की सहायता करने के लिए जांच में भाग नहीं लिया। इसे ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी को प्रयोक्ताओं द्वारा किए गए निवेदन को अस्वीकृत करना चाहिए, क्योंकि ये न केवल त्रुटिपूर्ण और विषय पर उपलब्ध विधिशास्त्र के विपरीत हैं, बल्कि महत्वपूर्ण साक्ष्य के साथ चीन जन. गण. से किसी उत्पादक द्वारा प्रमाणित भी नहीं है। निर्यातकों की ओर से ऐसी असहभागिता और असहयोग के कारण, घरेलू उत्पादकों ने अनुरोध किया था कि प्राधिकारी द्वारा प्रयोक्ताओं द्वारा किए गए निवेदन को अस्वीकृत किया जाना चाहिए।
- ग. यह कि विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा में फ्लोट ग्लास के सभी प्रकार शामिल हैं सिवाय विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से किए गए बहिष्करण के आगे यह निवेदन किया जाता है कि चूंकि घरेलू उद्योग "एक्स्ट्रा क्लियर फ्लोर ग्लास" का उत्पादन कर रहा है, इसके बहिष्करण का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता, इसलिए घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी से इस स्तर पर ही जांच को समाप्त करने का अनुरोध किया।
- घ. यह कि उत्पाद क्षेत्र बिल्कुल अस्पष्ट नहीं है और ऐसे उत्पाद को शामिल करते हुए यह सर्वाधिक सुस्पष्ट तरीके में निर्धारित किया गया है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहा है। इसके अतिरिक्त, यह तथ्य कि भिन्न उत्पाद के रूप में एक्स्ट्रा क्लियर फ्लोर ग्लास (ई सी एफ जी) मूल जांच की शुरुआत से पहले भी अस्तित्व में था, बिना किसी संदेह के इस बात को साबित करता है कि ई सी एफ जी निश्चय ही पी यू सी का भाग था। आगे यह निवेदन किया गया है कि यदि चीनी उत्पादकों ने 2005 से ई सी एफ जी का उत्पादन आरंभ कर दिया था और यदि ई एस एफ जी एक क्लियर फ्लोर ग्लास नहीं था तो पिछली किसी जांच में इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया गया। लिखित निवेदनों में, घरेलू उद्योग में शामिल उत्पादकों ने दोहराया है कि उनके संघटक घरेलू उत्पादकों में से एक ने बाजार में ई सी एफ जी का उत्पादन और आपूर्ति की है और अन्य के पास उत्पादन और बाजार में बिक्री इसलिए, ई सी एफ जी को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर नहीं किया जा सकता।
- ङ. चीनी उत्पादकों में से एक के द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र के संबंध में कि चीनी जन. गण. 2005 से ई सी एफ जी का उत्पादन कर रहा है, घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है कि इस तथ्य का कोई परिणाम नहीं निकलता है क्योंकि आवेदक यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि ई सी एफ जी एक भिन्न प्रकार या पी यू सी का सबसेट नहीं है। जहां तक भिन्न उत्पाद प्रकार के रूप में ई सी एफ जी के अस्तित्व का संबंध है, यह बात प्रासंगिक नहीं है कि चीन जन. गण. ने इसका उत्पादन कब आरंभ किया था। वास्तव में, उत्पाद को निश्चय ही घरेलू उद्योग के प्रौद्योगिकी आपूर्तिकर्ता द्वारा विनिर्मित किया गया था और इसलिए, उत्पाद के रूप में पी यू सी के विशिष्ट प्रकार की उपस्थिति प्रश्न में नहीं है। भारत में पहले इसका उत्पादन नहीं किया गया था क्योंकि इसकी कोई मांग नहीं थी। अब जबकि इस की मांग है, घरेलू उत्पादक इसका उत्पादन कर रहे हैं और बाजार में इसकी आपूर्ति कर रहे हैं।

- च. यह कि घरेलू उत्पादकों में से एक अर्थात् एस जी आई पी एल ने लौह और लेपित ग्लास बनाने के लिए केवल आंतरिक प्रयोग के लिए प्रयोज्य पाटन रोधी शुल्कों को अदा करने के पश्चात् चीन जन. गण. से ई सी एफ जी के बहुत नगण्य प्रतिशतांक का आयात किया है। एस जी आई पी एल ने पुनः बिक्री अथवा अन्य व्यापारिक प्रयोजनों के लिए आयातित ई सी एफ जी के किसी भाग का प्रयोग नहीं किया है।
- छ. यह कि आवेदक द्वारा अनुलग्न किए गए आर टी आई उत्तर का दो कारणों से तत्कालीन मामले में कोई महत्व नहीं है। प्रथम, सेंट गोबाइन इंडिया प्रा. लि. (एस जी आई पी एल) इस एसोसिएशन का हिस्सा नहीं है और इसलिए, उक्त उत्पादक से संबंधित सूचना आर टी आई उत्तर का भाग नहीं हो सकती। द्वितीय, उक्त शंका बहुत पहले की अवधि से संबंधित है और आवेदक ने इस तथ्य को स्वीकार किया है इस संबंध में कोई विवाद नहीं है कि एस जी पी आई एल ने ई सी एफ जी का उत्पादन और बिक्री की है।
- ज. यह कि आवेदक द्वारा एस ओ पी की नियमावली का संदर्भ गलत जगह पर दिया गया है और तथ्यों के गलत मूल्यांकन पर आधारित है और इसलिए इसे अस्वीकृत किए जाने की जरूरत है। आगे यह निवेदन किया गया है कि चूंकि, एस जी पी आई एल ने वास्तव में ई सी एफ जी का उत्पादन और आपूर्ति की है, आवेदक द्वारा जिस पैराग्राफ पर भरोसा किया गया है वह वास्तव में घरेलू उद्योग के मामले का समर्थन करता है।
- झ. यह कि आवेदक के निवेदनों से ऐसा प्रतीत होता है कि वे एक समय पर कई मामलों का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। कई जगह उनका यह तर्क है कि वे सिर्फ पी यू सी के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ ही उनका यह तर्क भी है कि पी यू सी में कभी भी ई सी एफ जी शामिल नहीं था। इस भ्रांति में आगे और ज्यादा गड़बड़ हो गई है क्योंकि आगे वे इसे बहिष्करण का मामला बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो, निर्धारण द्वारा यह मानता है कि पी यू आर आरंभ से ही वास्तव में पी यू सी में शामिल था। घरेलू उद्योग ने आगे निवेदन किया है कि मध्यवर्ती समीक्षा के लिए प्रत्येक आधार के तथ्यात्मक और विधिक आधार वाक्यों के संदर्भ में विभिन्न निहितार्थ हैं और घरेलू उद्योग को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार है। चूंकि आयातक का आवेदन तथ्यात्मक और कानूनी दोनों प्रकार की अस्पष्टता के दोष से ग्रस्त है, सिर्फ इसी आधार पर जांच को अस्वीकृत किया जाना चाहिए।
- ञ. यह कि भारत में आयातित ई सी एफ जी पर पाटन रोधी शुल्क के संग्रहण से संबंधित निवेदन के संबंध में घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है कि सीमा शुल्क प्राधिकारी ई सी एफ जी के आयातों पर पाटन रोधी शुल्क का संग्रहण कर रहे हैं जबकि इसे चीन जन. गण. से और अन्य देशों से आयातित किया जाता है जहां पाटन रोधी शुल्क लागू हैं। इसके अतिरिक्त, एस जी आई पी एल भी मूल्य वर्धित उत्पादों के लिए आंतरिक खपत हेतु चीन जन.गण. से आयात की जाने वाली छोटी मात्रा के लिए भी पाटन रोधी शुल्क अदा कर रहे हैं। इसलिए यह टिप्पणी कि इस समय सीमा शुल्क विभाग पाटन रोधी शुल्क प्रभारित कर रहे हैं न केवल अप्रासंगिक है बल्कि गलत भी है और इसलिए इसे तत्काल अस्वीकृत किए जाने की जरूरत है।
- ट. घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है कि जाजू आर्किटेक्चरल ग्लास प्रा. लि. बनाम सी सी अहमदाबाद मामले में सेस्टेट के निर्णय का उल्लेख तत्कालीन जांच मामले में इसलिए अप्रासंगिक है क्योंकि उक्त फैसला सेस्टेट की प्रधान बेंच द्वारा नहीं लिया गया था जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 सी की शर्तों में पाटन रोधी मामलों के संदर्भ में आदेश पारित करने के लिए एकमात्र कानूनी प्राधिकरण है। इसके अतिरिक्त, इस बात को अनदेखा नहीं किया जा सकता कि सेस्टेट बेंच का निर्णय डी जी टी आर अथवा घरेलू उद्योग को कार्यवाही में पक्षकार बनाए बिना पारित किया गया था। तदनुसार, घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है माननीय अधिकरण का उक्त निर्णय न केवल अधिकारिता के बिना है बल्कि इसका वर्तमान जांच से कोई संबंध नहीं है जिसे सेस्टेट की माननीय बेंच द्वारा परिवर्तित नहीं किया गया है और न ही किया जा सकता है। घरेलू उद्योग ने यह भी इंगित किया है कि सेस्टेट के आदेश को चुनौती देते हुए गुजरात उच्च न्यायालय में पहले ही रिट याचिका दायर की गई है। इसे ध्यान में रखते हुए, घरेलू उद्योग विनम्रता पूर्वक निवेदन करता है कि उक्त सेस्टेट आदेश, जिसे सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 ग के तहत पारित नहीं किया गया है, का वर्तमान कार्यवाहियों से कोई संबंध नहीं है।

- ठ. यह कि आवेदक ने उचित तुलना के सिद्धांतों का मूल्यांकन किए बिना, विचाराधीन उत्पाद के एक सबसेट की विचाराधीन उत्पाद के दूसरे सबसेट के साथ तुलना की है जैसा कि पाटन रोधी करार के अनुच्छेद 2.4 और पाटन रोधी नियमावली के अनुबंध - I के पैराग्राफ 6 के तहत विचार किया है। घरेलू उद्योग द्वारा आगे निवेदन किया गया है कि यदि उचित तुलना की जाए तो चीन जन. गण. से आयातित ई सी एफ जी घरेलू उद्योग की कीमतों में अत्यधिक कटौती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, ई सी एफ जी का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग द्वारा बेचे गए ई सी एफ जी की उचित बिक्री कीमत से उल्लेखनीय रूप से कम है। इस प्रकार, चीन जन. गण. से आयातित ई सी एफ जी घरेलू उद्योग को भी क्षति पहुंचा रहे हैं और इसलिए इसे उत्पाद क्षेत्र से बाहर नहीं रखा जा सकता।
- ड. घरेलू उद्योग द्वारा आगे निवेदन किया गया है कि यदि आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो प्राधिकारी को प्रत्येक मामले में कीमत अंतरों के साथ विभिन्न विशिष्टताओं रखने वाले सभी उत्पादों का बहिष्करण करना होगा। यह उचित तुलना और पी सी एन आधारित विश्लेषण की संकल्पना का गंभीर उल्लंघन होगा जो कि पाटन रोधी कानूनों, न्यायशास्त्र और अभ्यास में भली-भांति प्रतिष्ठित है। घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है कि सिर्फ समान उत्पाद के दो सबसेटों के बीच कीमत अंतर ही बहिष्करण का आधार नहीं हो सकता।
- ढ. यह कि आवेदक ने संबद्ध वस्तु के सभी प्रकारों का उत्पादन करने के लिए उत्पादन प्रक्रिया और इनपुट की आवश्यकताओं को गलत समझा है। घरेलू उद्योग द्वारा निवेदन किया गया है कि सिर्फ विचाराधीन उत्पाद के एक सबसेट में कम लोहांश (आयरन कंटेंट) के कारण, यह इसे बहिष्करण का मामला नहीं बनाता। इसके अतिरिक्त, यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि इसे उत्पादित करने के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्री समान है। इनपुट के कुछ विशेष विवरण (लोहांश) में मामूली अंतर उत्पाद को भिन्न नहीं बनाता। आगे यह निवेदन किया गया है कि भारत में विभिन्न उत्पादकों द्वारा विनिर्मित ग्लास के लिए भी, लोहांश भिन्न-भिन्न है। इसलिए, लोहांश में अंतर ई सी एम जी के इसके बहिष्करण का औचित्य सिद्ध करने के लिए एक पृथक उत्पाद नहीं बनाता। वास्तव में, चाहे विभिन्न सबसेटों के लिए कच्ची सामग्री उल्लेखनीय रूप से भिन्न है, इसे बहिष्करण का आधार नहीं बनाया जा सकता। घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है कि उक्त निवेदन उनके दावे के प्रति पूर्वाग्रह के बिना है कि आवेदक का पूरा मामला इस स्वीकृत तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रभावहीन हो जाता है कि घरेलू उद्योग पी यू सी के उक्त भिन्न रूप को उत्पादित कर रहा है।
- ण. उपर्युक्त के अतिरिक्त, यह निवेदन किया जाता है कि आवेदक के स्वयं की स्वीकृति के अनुसार, चीन जन.गण. से ई सी एफ जी की आयात कीमतों और अन्य देशों से आयात कीमतों के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। यह आगे सिद्ध करता है कि चीन जन. गण. से ई सी एफ जी की कथित उच्च कीमतें भी घरेलू उद्योग के लिए क्षतिकारक होंगी यदि तुलना के स्थापित सिद्धांतों की शर्तों में एक उचित तुलना की जाती है। रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना से, इसके पर्याप्त साक्ष्य हैं कि चीन जन. गण. से आयातित ई सी एफ जी घरेलू उद्योग की कीमतों में अत्यधिक कटौती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, कीमत से कम कीमत पर बिक्री का मार्जिन भी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, ई सी एफ जी के आयात भी घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी से इस जांच को समाप्त करने का अनुरोध किया है।
- त. विनिर्माण प्रक्रिया और ई सी एफ जी का उत्पादन करने के लिए जरूरी इनपुट अथवा पी यू सी के कोई अन्य रूपांतर समान हैं। ग्लास की सभी श्रेणियों में दो प्रकार के आयरन का सगा अनुपात महत्वपूर्ण है। यह ई सी एफ जी के लिए कोई विशेष नहीं है। ई सी एफ जी के रसायनिक विरंजीकरण के प्रयोजनार्थ लिखित निवेदन में उल्लिखित रसायनों को जैसे CeO_2 , सोडियम सल्फेट और सोडियम नाइट्रेट को शामिल करना भी सामान्य क्लियर ग्लास के उत्पादन में जोड़ा गया है।
- थ. यह कि ई सी एफ जी अथवा पी यू सी के किसी अन्य प्रकार का उत्पादन करने के लिए विनिर्माण प्रक्रिया समान है। आगे यह निवेदन किया गया है कि विभिन्न प्रकार के ग्लास को पैरामीटर्स में समायोजन की जरूरत है जो, किसी तरह से विनिर्माण को पृथक नहीं बनाता। किसी भी स्थिति में, आवेदक का तर्क भी

पूरी तरह से गलत है क्योंकि यह स्थापित कानून है कि उत्पाद सिर्फ इसलिए असमान नहीं हो जाते क्योंकि उत्पादन प्रक्रिया भिन्न है।

- द. घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है कि तर्क पूरी तरह से गलत और त्रुटिपूर्ण है। पाटन रोधी जांचों में विचाराधीन उत्पाद बी आई एस मानकों द्वारा नियंत्रित नहीं किए जाते हैं। अत्यधिक समान विचाराधीन उत्पाद के उत्पाद रूपांतरों के लिए विभिन्न बी आई एस मानकों का होना असामान्य भी नहीं है। बी आई एस का प्रयोजन गुणवत्ता मानकों और मानदंडों की स्थापना करना है। इसके अतिरिक्त, ई सी एफ जी के लिए बी आई एस मानक भी, घरेलू उद्योग की सर्वोत्तम सूचना के अनुसार, अभी भी प्रारूप स्तर पर है। किसी भी स्थिति में, आवेदक, किसी प्रमाण को छोड़ भी दें, तो यह स्थापित करने के लिए किसी आधार को प्रस्तुत में असफल रहा है कि ई सी एफ जी क्लियर प्लोट ग्लास नहीं है। यह इस तथ्य के पूर्वाग्रह के बिना है कि एस जी आई पी एल, ई सी एफ जी का उत्पादन कर रहा है।
- ध. यह कि आवेदक ने सामान्य क्लियर प्लोट ग्लास की ई सी एफ जी के साथ तुलना कर प्राधिकारी को भ्रमित करने की कोशिश की है। तथापि, अंतरों को स्थापित करने के लिए, आवेदकों को एस जी आई पी एल द्वारा उत्पादित और उनके द्वारा आयातित ई सी एफ जी के बीच तुलना करनी चाहिए। चूंकि, ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया, ऐसे सभी तर्कों को अस्वीकृत किए जाने की जरूरत है क्योंकि ये सभी गलत तुलना पर आधारित हैं।
- न. यह निवेदन किया गया है कि एस जी आई पी एल द्वारा उत्पादित और आवेदक द्वारा आयातित ई सी एफ जी समान वस्तु हैं। इसके अलावा भारत में आयातक केवल कीमत के कारण चीन जन. गण. से ई सी एफ जी खरीदने को प्राथमिकता देते हैं। यह निवेदन किया जाता है कि कीमत भिन्नता से संबंधित तर्क गलत हैं और इसलिए इन्हें अस्वीकृत किए जाने की जरूरत है। यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि आवेदक ने ई सी एफ जी के बहिष्करण के लिए आवेदन दायर किया है जो स्वयं में इस बात की स्वीकृति है कि यह हमेशा विचाराधीन उत्पाद का एक भाग था।
- प. यह कि आस्ट्रेलिया में घरेलू उत्पादकों ने "लो आयरन ग्लास" को विचाराधीन उत्पाद के भाग के रूप में शामिल नहीं किया है और इसलिए आस्ट्रेलियन प्लोट ग्लास केस का आश्रय लेना आवेदक के मामले को आगे नहीं बढ़ाता। इसके अलावा, एक सूचना से संबंधित विचाराधीन उत्पाद किसी उत्पाद को शामिल या उसके बहिष्करण करने का आधार नहीं हो सकता।
- फ. घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है कि तत्कालीन जांच और जारी निर्णायक समीक्षा जांच में भी, भाग न लेने के निर्णय द्वारा निर्यातकों ने अपनी रणनीति में पी यू सी के सबसेटों और उनकी विनिर्माण प्रक्रिया और इनपुट में अंतरों से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना को गोपनीय रखा है। चूंकि, किसी भी निर्यातक ने वास्तविक आंकड़े/सूचना या उत्पादन प्रक्रिया उपलब्ध करा कर प्राधिकारी की सहायता नहीं की है, घरेलू उद्योग ने विनम्रता पूर्वक मध्यवर्ती समीक्षा जांच को अस्वीकृत करने का अनुरोध किया है।
- ब. यह कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने पिछले जांच परिणामों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी थी, इसलिए उस जांच में लिए गए निर्णय को अंतिम रूप दे दिया गया है। इसके अतिरिक्त, मध्यवर्ती समीक्षा का प्रावधान पिछले जांच परिणामों में संशोधन की मांग करने के लिए किया गया है बशर्ते यह विश्वास करने का कारण उपस्थित हो कि पिछली पूरी की गई जांच के समय अभिभावी तथ्यों और परिस्थितियों में परिवर्तन हो गया है। इसे ध्यान में रखते हुए, चूंकि, आवेदक तथ्यों और परिस्थितियों में ऐसे किसी परिवर्तन को दर्शाने में असफल रहा है जिनकी 2015 में प्राधिकारी के अंतिम जांच परिणामों के पश्चात ई सी एफ जी के बहिष्करण के लिए आवश्यकता हो, आवेदक द्वारा प्रस्तुत निवेदन किसी भी योग्यता से रहित है और इसलिए अस्वीकृत किए जाने की जरूरत है।
- भ. यह कि प्राधिकारी प्रस्तुत मुद्दे की तथ्यात्मक स्थिति की जांच करने के लिए जरूरी कोई जांच या परीक्षण आयोजित कर सकते हैं। वास्तव में, आवेदक प्रायः संबद्ध उत्पाद की अपेक्षित विशेषताओं में परिवर्तन कर रहे हैं जो शुल्कों को उपेक्षित करने के आवेदक के अभिप्राय को दर्शाता है और उनके दावों में कोई योग्यता नहीं है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

9. प्राधिकारी ने मूल जांच में, जिसके द्वारा बहिष्करण की मांग की गई है, विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र की सावधानीपूर्वक जांच की है। पी यू सी के क्षेत्र का विवरण देते हुए, प्राधिकारी ने जांच शुरुआत अधिसूचना में फ्लोट ग्लास की विशिष्ट श्रेणियों की एक संपूर्ण सूची का उल्लेख किया है जिन्हें उत्पाद क्षेत्र से बाहर किया गया है। ये सजावटी, औद्योगिक या ऑटोमोटिव प्रयोजनों के लिए बने रिफ्लेक्टिव, प्रोसेस्ड ग्लास हैं।
10. वर्तमान आवेदन में, आवेदक ने एक्सट्रा क्लियर फ्लोट ग्लास (ई सी एफ जी अथवा पी यू आर के रूप में उल्लिखित) को शामिल न करने की मांग की है। आवेदन में शीर्ष "समीक्षा के आधार" के अंतर्गत समीक्षा के निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है:-
 - क. ई सी एफ जी अथवा लो आयरन ग्लास देखने में पृथक है क्योंकि ई सी एफ जी अल्ट्रा क्लियर है जबकि क्लियर फ्लोट ग्लास ग्रीन टिंज से प्रभावित होता है।
 - ख. क्लियर ग्लास फ्लोट की तुलना में ई सी एफ जी में लाइट ट्रांसमिशन की उच्च मात्रा है।
 - ग. स्टैंडर्ड क्लियर फ्लोट ग्लास की तुलना में ई सी एफ जी या अल्ट्रा क्लियर फ्लोट ग्लास उत्पाद में आयरन कंटेंट 75% कम है। सिलिका सैंड में सामान्य आयरन कंटेंट जो सी एफ जी के लिए प्रयुक्त होता है, में लगभग 650 पी पी एम से 850 पी पी एम होता है जबकि ई सी एफ जी के लिए यह 100 पी पी एम से 200 पी पी एम है। ई सी एफ जी का विनिर्माण करने के लिए सिलिका सैंड में उपस्थित अधिकतर आयरन ऑक्साइड कंटेंट को हटा दिया जाता है।
 - घ. ई सी एफ जी के लिए एक पृथक बी आई एस मानकों का प्रस्ताव किया गया है।
 - ङ. घरेलू उद्योग मूल जांच के समय तथा पिछली निर्णायक समीक्षा जांच के समाप्त होने तक एक्सट्रा क्लियर ग्लास का उत्पादन नहीं करता था। आवेदकों के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, घरेलू उद्योग उल्लेखनीय मात्रा में ई सी एफ जी का आयात कर रहा है और भारत में उनकी दुबारा बिक्री कर रहा है।
 - च. चूंकि, ई सी एफ जी मूल जांच के समय न तो भारतीय घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित किया जा रहा था और न ही भारत में आयात किया जा रहा था। इसलिए वर्तमान उपाय में ई सी एफ जी शामिल नहीं है।
 - छ. सी एफ जी की तुलना में ई सी एफ जी की आयात कीमतें महत्वपूर्ण रूप से अधिक है जो ये संकेत करता है कि बाजार में ये एक दूसरे के विकल्प नहीं हैं।
 - ज. पूरे विश्व में कंपनियों द्वारा ई सी एफ जी और क्लियर फ्लोट ग्लास अलग-अलग विज्ञापित किए जा रहे हैं और उनका बाजार बोध भी बिल्कुल भिन्न है।
 - झ. आवेदक ने दावा किया है कि ई सी एफ जी का अनुप्रयोग सामान्य सी एफ जी अनुप्रयोगों से पूरी तरह से भिन्न है। आगे यह दावा किया गया है कि बहुत से अनुप्रयोगों में सी एफ जी के कार्यात्मक और सौंदर्य संबंधी सीमाओं के कारण केवल ई सी एफ जी का प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे अनुप्रयोगों में सोलर पैनल के लिए ग्लास, जिसे अधिकतम प्रकाश पारेषण की आवश्यकता होती है, लाइट फिक्चर्स के लिए ग्लास, व्यू ग्लास, अंतरिक्ष अनुप्रयोजन शामिल हैं।
 - ञ. सेस्टेट अहमदाबाद ने आदेश संख्या ए/11068-11069/2019 दिनांक 05.07.2019 के अनुसार धारित किया है कि क्लियर फ्लोट ग्लास की तुलना में "एक्सट्रा क्लियर फ्लोट ग्लास" पूर्ण रूप से ग्लास का एक भिन्न प्रकार है और परिणामस्वरूप यह निष्कर्ष निकाला गया कि ई सी एफ जी के आयातों पर पाटन रोधी शुल्क अदायगी योग्य नहीं है।
 - ट. ई सी एफ जी को अन्य क्षेत्राधिकारों द्वारा बहिष्कृत किया गया है जैसे आस्ट्रेलिया, जहां 3 से 12 मिलिमीटर (मि.मी.) की न्यूनतम मोटाई में क्लियर फ्लोट ग्लास पर पाटन रोधी उपायों के क्षेत्र से बड़ी संख्या में प्रकारों, जिनमें लो आयरन ग्लास (अथवा एक्सट्रा क्लियर फ्लोट ग्लास) शामिल है, का बहिष्करण किया गया है।

- ठ. आवेदक ने दावा किया है कि ई सी एफ जी पर पाटन रोधी शुल्क का उद्ग्रहण उसके कारोबार पर विपरीत प्रभाव डाल रहा है क्योंकि ई सी एफ जी के आयातों पर पाटन रोधी शुल्क की वसूली की जा रही है। हालांकि, बाजार में इसका कोई घरेलू विकल्प उपलब्ध नहीं है।
11. प्राधिकारी के लिए विचार हेतु पहला मुद्दा यह है कि क्या मूल जांच में ई सी एफ जी, पी यू सी का भाग था अथवा नहीं। इस संदर्भ में यह नोट किया गया है कि आवेदक का प्रमुख तर्क दो भाग वाला है। एक, ई सी एफ जी 2005 से पहले चीन जन. गण. में ई सी एफ जी का उत्पादन नहीं किया जाता था और इसलिए, यह पी यू सी का भाग नहीं हो सकता। दूसरा, घरेलू उद्योग ने भी जांच की मूल अवधि के दौरान ई सी एफ जी का उत्पादन नहीं किया। इस मुद्दे पर विचार विमर्श करने से पूर्व, यह विचार करना महत्वपूर्ण है कि क्या ई सी एफ जी को पी यू सी का भाग माना जा सकता है अथवा नहीं। इस संबंध में, निम्नलिखित परीक्षण किए गए हैं।
 12. रिकार्ड पर प्रस्तुत निवेदनों की जांच से यह नोट किया जाता है कि ई एस एफ जी की तकनीकी विशेषताएं स्टैंडर्ड क्लियर फ्लोट ग्लास की तुलना में अधिक परिष्कृत हैं। यह भी विवादित नहीं है कि प्रयुक्त कच्ची सामग्री भी उच्च मानक की है या शुद्धता की है। इसके साथ ही, ग्लास की वांछित गुणवत्ता/विशेषताओं को प्राप्त करने के लिए उत्पादन मापदंड भी अधिक सख्त है। यदि इन सभी दावों को स्वीकार किया जाता है तो केवल जो अनिवार्य निष्कर्ष प्राप्त किया जा सकता है वह यह है कि ई सी एफ जी सिर्फ फ्लोट ग्लास (पी यू सी) की विस्तृत श्रेणी का एक सबसेट है।
 13. यह विचार करते हुए कि ई सी एफ जी, पी यू सी का सिर्फ एक सबसेट है, आवेदकों के दावों की जांच की गई है। याचिकाकर्ता का यह दावा कि 2005 से पूर्व ई सी एफ जी का चीन जन. गण. में निर्माण नहीं किया जाता था और भारत को निर्यातित नहीं किया जाता था, का कोई महत्व नहीं है क्योंकि इस मुद्दे को कभी भी पिछली किसी भी जांचों के दौरान नहीं उठाया गया था। इसके अतिरिक्त, घरेलू उत्पादक एस जी पी आई एल जो घरेलू उद्योग का एक संघटक है, इस समय ई सी एफ जी का उत्पादन कर रहा है और उसने ई सी एफ जी के उत्पादन के विवरण और उनके द्वारा की गई बिक्रियों के विवरण प्रस्तुत किए गए हैं।
 14. चीनी विनिर्माताओं में से एक द्वारा संलग्न प्रमाणपत्र के संबंध में, यह नोट किया गया है कि चूंकि उक्त उत्पादक ने जांच में भाग नहीं लिया है, वह वर्तमान जांच से कम संगत है, जैसा कि उनके द्वारा दावा किया गया था, जिसकी प्राधिकारी द्वारा जांच नहीं की जा सकती है।
 15. जहां तक इस तथ्य का संबंध है कि ई सी एफ जी के लिए प्रस्तावित बी आई एस पृथक है, प्राधिकारी घरेलू उद्योग के दावों से सहमत है कि पी यू सी के भीतर विभिन्न सबसेटों के लिए विभिन्न बी आई एस मानकों का स्वभावतः पाटन रोधी जांचों में परिणाम निम्न है। समान विचाराधीन उत्पाद के उत्पाद के उत्पाद रूपांतरों के लिए विभिन्न बी आई एस का उद्देश्य गुणवत्ता मानकों और मानदंडों को स्थापित करना है और यह पी यू सी के क्षेत्र को प्रभावित नहीं कर सकता। इसके अलावा, हालांकि अभी तक कोई परिणाम प्राप्त नहीं हुआ है, यहां तक कि ई सी एफ जी के लिए बी आई एस मानक स्वीकृत रूप से अभी भी प्रारूप स्तर पर है। किसी भी स्थिति में, आवेदक ने, साक्ष्य तो उपलब्ध नहीं कराया है, बल्कि यह स्थापित करने में भी असफल रहा है कि ई सी एफ जी क्लियर फ्लोट ग्लास नहीं है।
 16. प्राधिकारी का यह विचार है कि विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से किसी उत्पाद के बहिष्करण के लिए प्रधान मानदंडों में से एक यह है कि क्या घरेलू उद्योग इसका विनिर्माण कर रहा है या नहीं। इस संदर्भ में, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग इस आवेदन को दायर करने से पूर्व निश्चय ही उचित मात्रा में ई सी एफ जी का उत्पादन और बिक्री कर रहा है। इस तथ्य का कंपनी के रिकार्डों से सत्यापन किया जा रहा है। वास्तव में, आवेदक ने इस तथ्य का विरोध नहीं किया है कि घरेलू उत्पादकों में से एक ने पीयूआर का उत्पादन और बिक्री की है। यह तथ्य कि मूल पी ओ आई के दौरान वे ई सी एफ जी का उत्पादन नहीं करते थे, इसलिए, इस जांच के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक नहीं है।
 17. जहां तक इस दावे का संबंध है कि ई सी एफ जी का प्रयोग स्टैंडर्ड ग्लास के प्रयोग से भिन्न है, रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्य इसके विपरीत संकेत करते हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उनके द्वारा दायर निवेदन के जरिए यह प्रदर्शित किया गया है कि ई सी एफ जी का प्रयोग आसानी से ऐसे अनुप्रयोगों के लिए किया जा सकता है जो परंपरागत रूप से

क्लियर प्लोट ग्लास का प्रयोग करते हैं। किसी भी स्थिति में यह कहा जा सकता है कि किसी विशिष्ट प्रयोजना के लिए पी यू सी के किसी विशेष सबसेट का प्रयोग बहिष्करण के लिए आधार नहीं हो सकता जब तक कि पी यू सी का भाग है। यह तथ्य कि उत्पादक पी यू सी के विभिन्न प्रकारों का उत्पादन करते हैं, केवल इसलिए क्योंकि उन विशिष्ट प्रयोग भिन्न हो सकते हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, यह तथ्य बना हुआ है कि घरेलू उद्योग पी यू सी के उक्त प्रकार का उत्पादन कर रहा है और जांच के दौरान इसने इसके साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं।

18. जहां तक इस दावे का संबंध है कि ई सी एफ जी की कीमतें मानक क्लियर प्लोट ग्लास की कीमतों की तुलना में बहुत अधिक है, प्राधिकारी की राय है कि चाहे यदि आवेदक का दावा स्वीकार भी किया जाता है तो एकमात्र परिणाम यह है कि कीमत की तुलना उचित तरीके से की जानी चाहिए जैसा कि पाटन रोधी नियमावली के अनबंध – 1 के पैराग्राफ 6 और पाटन रोधी करार के अनुच्छेद 2.4 के तहत निर्धारण किया गया है।
19. उपर्युक्त के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता के इस दावे का विश्लेषण करने के लिए डी जी सिस्टम आयात आंकड़ों की मांग की है कि प्रविष्टि के एकल बिल में भिन्न – भिन्न मोटाई के कारण, डी जी सी आई एंड एस से आयात आंकड़े आयात कीमतों की सही स्थिति नहीं देते, क्योंकि डी जी सी आई एंड एस रिपोर्ट एक बिल की प्रविष्टि में केवल एक मोटाई के बारे में बताते हैं। प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता के अनुरोध को विश्वासयोग्य पाया है कि डी जी सी आई एंड एस सभी सौदों में सही आयात कीमतों को प्रतिबिंबित नहीं करता। याचिकाकर्ताओं डी जी सी आई एंड एस और डी जी सिस्टम द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की जांच के पश्चात, यह नोट किया गया है कि आयात सौदों में प्रदर्शित ई सी एफ जी को संबद्ध वस्तुओं की कीमतों को संबद्ध वस्तुओं की तुलना में उच्च पाया गया है, यह कहीं भी इतने उच्च नहीं हैं जैसाकि याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा किया गया है। इसके अलावा, जैसा कि ऊपर इंगित किया गया है, निर्यात कीमत के बारे में किसी प्रमाणनीय सूचना के अभाव में, कीमत से भिन्नता के दावे को और अधिक प्रमाणित नहीं किया जा सकता।
20. जहां तक जाजू आर्किटेक्चरल ग्लास प्रा. लि. बनाम सी सी अहमदाबाद में सेस्टेट के निर्णय का संबंध है यह नोट किया जाता है कि उक्त निर्णय ने न तो अंतिम जांच परिणाम को परिवर्तित किया है और न ही विचारधीन उत्पादन को परिशोधित किया है। किसी भी स्थिति में, केवल धारा 9 ग के तहत गठित प्रधान बैच को डी जी टी आर के अंतिम जांच परिणाम में संशोधन या परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है।

प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

आवेदकों के अनुरोध

21. आवेदकों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
 - क. यह कि प्राधिकारी ने पक्षकारों से प्रकटन विवरण पर टिप्पणियों के लिए प्रतीक्षा किए बिना आवेदन पत्र को रद्द करने का मन पहले ही बना लिया है, इससे प्रकटन विवरण पर टिप्पणियां निरर्थक हो गई हैं।
 - ख. यह कि कीमत अंतर के संबंध में प्राधिकारी की जांच अस्पष्ट होने के नाते प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है तथा बिना दिमाग लगाए है।
 - ग. मूल जांच तथा मूल जांच के बाद के दौरान ईसीएफजी के उत्पादन के मुद्दे के संबंध में प्राधिकारी की जांच बिना दिमाग लगाए है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है।
 - घ. यह कि ईसीएफजी के वर्तमान उत्पादन के घरेलू उद्योग के तर्क को स्वीकार करने के संबंध में प्राधिकारी की जांच पूरी तरह असंगत है और वर्तमान मामले के तथ्यों को देखते हुए गैर-परिणामी है।
 - ङ. यह कि ईसीएफजी की उत्पाद विशेषताओं के संबंध में प्राधिकारी का निष्कर्ष गलत है।
 - च. यह कि प्रयोग के संदर्भ में प्रतिस्थापनीयता के संबंध में प्राधिकारी की जांच रिकार्ड में तथ्यों को गलत मानने के आधार पर है।
 - छ. यह कि बीआईएस मानकों की गैर-प्रयोज्यता के संबंध में प्राधिकारी की जांच गलत है।
 - ज. यह कि जाजू आर्किटेक्चरल ग्लास में सेस्टेट के निर्णय की गैर-प्रयोज्यता के संबंध में प्राधिकारी की जांच गलत है और इस पर पुनः विचार किए जाने की आवश्यकता है।

- झ. यह कि चीनी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा भाग लिए जाने के संबंध में प्राधिकारी के जोर की वर्तमान संख्या में पूर्णतः कोई बाधा नहीं है।
- ञ. यह कि प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के प्रत्युत्तर अनुरोध पर विश्वास किया है जिसमें नए अनुरोध हैं, जिस पर प्राधिकारी द्वारा विश्वास किया गया है, परंतु आवेदकों को प्रकट नहीं किया गया है, जबकि प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण में आवेदकों के कई अनुरोधों पर न तो विचार किया है और न उन्हें हल किया है।
- ट. यह कि प्राधिकारी को इसका समाधान करना चाहिए कि जब भारत में घरेलू उत्पादकों द्वारा ईसीएफजी का कोई उत्पादन नहीं था और पहली जांच के दौरान ईसीएफजी का भारत को कोई आयात नहीं था तो ईसीएफजी को विचाराधीन उत्पाद में कैसे शामिल किया गया, कहा जाता है। यह भी अनुरोध है कि वर्तमान जांच यह जांच करने के लिए नहीं है कि क्या पाटनरोधी शुल्क ईसीएफजी पर लगाया जा सकता है, यह इस बात की जांच करने के लिए है कि क्या ईसीएफजी पर "विद्यमान" पाटनरोधी शुल्क लगाए जा सकते हैं अथवा नहीं।

प्रतिभागी घरेलू उत्पादक के अनुरोध

22. घरेलू उत्पादक द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. यह कि चूंकि घरेलू उत्पादक ईसीएफजी सहित संबद्ध सामानों की सभी किस्मों का उत्पादन कर रहे हैं, अतः संबद्ध उत्पादों के क्षेत्र से किसी को भी हटाने के प्रश्न पर विचार नहीं किया जा सकता, अतः उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके मद्देनजर, घरेलू उत्पादकों ने अनुरोध किया कि उत्पाद क्षेत्र से ईसीएफजी को हटाने का अनुरोध सीधे ही रद्द किया जाना चाहिए।
- ख. यह कि आवेदक यह सिद्ध करने के लिए कोई आधार अथवा साक्ष्य प्रदान करने में विफल रहा है कि ईसीएफजी विचाराधीन उत्पाद का एक भाग नहीं है। इसके विपरीत, घरेलू उत्पादकों ने यह दर्शाया है कि ईसीएफजी क्लीयर फ्लोट ग्लास के एक व्यापक उत्पाद समूह का केवल एक सब-सेट है। वस्तुतः आवेदक भी ईसीएफजी को ग्लास की भिन्न किस्म मानता है जिसमें कई सौंदर्य मूल्य हैं। तदनुसार, यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि ईसीएफजी पूर्व जांचों में परिभाषित किए गए अनुसार विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र की परिभाषा में शामिल है।
- ग. यह कि बीआईएस से आवेदक द्वारा उल्लिखित विनिर्दिष्टियां तथ्यात्मक रूप से गलत हैं क्योंकि वह अभी तक प्रारूप स्तर पर हैं और उसे स्वीकार नहीं किया गया है। दूसरे, घरेलू उत्पादक संबद्ध सामानों की विभिन्न किस्मों का उत्पादन कर रहे हैं जो सभी अपेक्षित विद्यमान मानकों को पूरा करते हैं।
- घ. यह कि आवेदक ने एक भी साक्ष्य ऐसा नहीं दिया है कि खरीद का उनका अनुरोध अथवा पूछताछ घरेलू उत्पादकों द्वारा रद्द की गई है। इसके विपरीत, आवेदकों और उनके तथाकथित समर्थकों ने घरेलू उत्पादकों से मात्र चीन से आने वाले सस्ते और पाटित आयातों के कारण संबद्ध सामान नहीं खरीदे हैं।
- ङ. यह कि आवेदक ने अपने अनुरोध में ही स्वीकार किया है कि एक घरेलू उत्पादक अर्थात् सेंट गोबेन इंडिया प्रा. लि. ईसीएफजी का उत्पादन कर रहा है जो कि संबद्ध सामानों की एक किस्म है जिसके लिए आवेदक उसे हटाए जाने की मांग कर रहा है। इस प्रकार स्वयं स्वीकार किए जाने से प्राधिकारी के पास उसे हटाए जाने के उनके अनुरोध को स्वीकार करने का कोई स्तर नहीं रह जाता है।
- च. यह कि आवेदक द्वारा एक्स्ट्रा क्लीयर फ्लोट ग्लास और क्लीयर फ्लोट ग्लास के बीच की गई तुलना गलत तथा भावुक है क्योंकि आवेदक चीन से आयातित ईसीएफजी की तुलना चीन से आयातित क्लीयर फ्लोट ग्लास (सीएफजी) से कर रहा है जिसका उत्पादन एवं बिक्री घरेलू उत्पादकों द्वारा की जाती है। यदि घरेलू उत्पादकों द्वारा उत्पादित ईसीएफजी और चीन अथवा किसी अन्य देश से आयातित ईसीएफजी की कीमतों की तुलना की जाती है तो कोई अंतर नहीं होगा, जैसा कि आवेदक द्वारा दावा किया गया है।
- छ. यह कि यहां तक कि यदि आवेदक का तर्क स्वीकार किया जाए तो उसका केवल एक परिणाम होगा कि कीमत तुलना एक उपयुक्त तरीके से की जानी होगी, जैसा कि पाटनरोधी नियमावली और पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.4 में परिकल्पित है। यह भी अनुरोध है कि घरेलू उद्योगों के बारे में हमारी सर्वोत्तम जानकारी के

अनुसार डीजीटीआर अथवा विश्व में किसी भी अन्य एजेंसी ने इस आधार पर किसी उत्पाद को अलग नहीं किया है कि परस्पर कीमतें भिन्न हैं। भिन्न दृष्टिकोण के अन्य जांचों के लिए गंभीर प्रभाव होंगे कि जहां कहीं विचाराधीन उत्पाद की विभिन्न किस्मों के बीच कीमत अंतर हो।

- ज. यह कि पाटनरोधी जांच में किसी उत्पाद को तभी अलग किया जा सकता है यदि उसका विनिर्माण घरेलू उत्पादकों द्वारा नहीं किया जाता है और साथ ही वाणिज्यिक और तकनीकी रूप से प्रतिस्थापनीय नहीं है अथवा घरेलू उत्पादकों के पास संबद्ध उत्पादों का उत्पादन करने की क्षमता नहीं है।
- झ. यह कि किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने जांच में भाग नहीं लिया, प्राधिकारी चीनी उत्पादकों की तुलना में सूचना का सत्यापन नहीं कर पाए। इसके मद्देनजर, यह अनुरोध है कि प्राधिकारी को आवेदक के दावों को और जांच को रद्द करना चाहिए।

प्राधिकारी द्वारा जांच

23. हितबद्ध पक्षकारों से प्रकटन पश्चात अनुरोध प्राप्त हो गए हैं और यह अनुरोध किया जाता है कि उठाए गए अधिकतर मुद्दे दोहराए गए हैं और पूर्व में पहले ही उठाए गए हैं तथा प्रकटन विवरण में और साथ ही इन अंतिम जांच परिणामों में उपयुक्त रूप से हल भी किए गए हैं। अतिरिक्त अनुरोधों का विश्लेषण निम्नलिखित रूप में किया गया है:
- क. आवेदक के इस तर्क के संबंध में कि प्राधिकारी ने पक्षकारों से प्रकटन विवरण पर टिप्पणियों के लिए प्रतीक्षा किए बिना आवेदन पत्र को रद्द करने के लिए पहले ही अपना मन बना लिया है, यह नोट किया जाता है कि यह सही नहीं है क्योंकि प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर अपनी समझ और तथ्य प्रकट किए हैं ताकि सभी हितबद्ध पक्षकार उसके आधार पर अपनी टिप्पणियां दे सकें तथा यदि कोई वास्तविक तथ्य छूट गया है तो उसका उल्लेख कर सकें, जो कि प्राधिकारी के अंतिम विचार के लिए अनिवार्य है। इसके मद्देनजर, यह तर्क कि प्राधिकारी ने अपना मन पहले ही बना लिया है, औचित्यहीन है।
- ख. इस अनुरोध के संबंध में कि प्राधिकारी ने दिमाग लगाए बिना प्रकटन विवरण जारी किया है, यह नोट किया जाता है कि नियम 16 के अनुसार प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को उनकी टिप्पणियों के लिए सभी अनिवार्य तथ्य प्रकट किए जो उनके निर्णय का आधार बन सकते हैं। अतः आवेदक की समझ गलत है और औचित्यहीन है।
- ग. इस जांच में चीनी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रतिभागिता की असंगतता के संबंध में अनुरोध के बारे में यह नोट किया जाता है कि चूंकि चल रही जांच में कीमतों की जांच शामिल है, जिसमें मोटाई, उत्पादन प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रक्रिया के कारण अंतर है, चीनी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रतिभागिता सर्वोत्कृष्ट थी, विशेष रूप से जब घरेलू उत्पादकों ने आवेदकों द्वारा दिए गए दावों का विरोध किया है।
- घ. जहां तक आवेदक के इस तर्क का संबंध है कि प्राधिकारी ने प्रत्युत्तर अनुरोधों में दिए गए घरेलू उत्पादकों के नए अनुरोधों पर उन्हें प्रकट किए बिना विश्वास किया है और उनके अनुरोधों पर विचार नहीं किया है, यह नोट किया जाता है कि यह तथ्यात्मक रूप से गलत है। प्रकटन विवरण हितबद्ध पक्षकारों के सभी अनुरोधों का मानस अभ्यावेदन नहीं है। प्राधिकारी ने अंतिम निर्णय के लिए अपने निर्धारण हेतु संगत और अनिवार्य मानी गई सीमा तक प्रकटन विवरण में सभी अनुरोधों पर विचार किया है।
- ड. भारत में घरेलू उत्पादकों द्वारा ईसीएफजी के गैर-उत्पादन और प्रथम जांच के दौरान ईसीएफजी के भारत में आयातों के बावजूद विचाराधीन उत्पाद में ईसीएफजी को शामिल करने के संबंध में अनुरोध के बारे में प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक यह सिद्ध करने में विफल रहे हैं कि ईसीएफजी पूर्व के जांच परिणामों में परिभाषित किए गए अनुसार प्लोट ग्लास का भाग नहीं है। इसके अतिरिक्त, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उत्पादकों ने मध्यावधि जांच के दौरान वास्तविक उत्पादन और उसकी आपूर्ति का साक्ष्य दिया है। अतः विगत जांचों से संबंधित मुद्दे का वर्तमान जांच परिणाम के लिए कोई संबंध नहीं है, जब किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने कभी इस मुद्दे पर उन जांच परिणामों को चुनौती न दी हो। इसके मद्देनजर, आवेदक द्वारा उठाये गए तर्क का कोई औचित्य नहीं है।

- च. कीमत तुलना के मुद्दे के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि आवेदक द्वारा एक्स्ट्रा क्लीयर फ्लोट ग्लास और क्लीयर फ्लोट ग्लास के बीच की गई तुलना उपयुक्त नहीं है। इस संबंध में, यह भी नोट किया जाता है कि जब चीन से आयातित ईसीएफजी और घरेलू उत्पादक द्वारा उत्पादित घरेलू समान उत्पाद के बीच उचित तुलना की जाए तो कोई अंतर नहीं होगा, जैसा कि आवेदक द्वारा दावा किया गया है। चीन जन. गण. से आयातित ईसीएफजी की पहुँच कीमत के निर्धारण के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि आवेदक द्वारा जिन आयात आंकड़ों पर विश्वास किया गया है, उनका विश्लेषण भी प्राधिकारी द्वारा किया गया है जिनका आयात गौण स्रोतों से लिया गया है। यह विश्लेषण से नोट किया जाता है कि यद्यपि आयात लेन-देनों में दर्शाई गई ईसीएफजी की कीमतें संबद्ध सामानों की कीमतों से अधिक पाई गई हैं, ये कहीं भी उतनी अधिक नहीं हैं, जैसा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा किया गया है। यह भी उल्लेख किया जाता है कि प्राधिकारी ने चीन जन. गण. से आयातित ईसीएफजी के कीमत निर्धारण के प्रयोजन के लिए डीजी सिस्टम के आंकड़ों को नहीं अपनाया था और यह कि डीजी सिस्टम के आंकड़े केवल आवेदकों द्वारा किए गए दावों का सत्यापन करने के सीमित प्रयोजन के लिए ही प्रयोग में लाए गए हैं, न कि अंतिम निर्धारण के लिए। जैसा कि उल्लेख किया गया है, प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता के दावों को क्लीयर फ्लोट ग्लास की तुलना में ईसीएफजी की उच्चतर कीमत के संबंध में उनके द्वारा प्रस्तुत सूचना के बारे में याचिकाकर्ताओं के दावों को पहले ही स्वीकार किया है। किसी भी दशा में उत्पाद की किसी खास किस्म को कीमत अंतर के आधार पर ही विचाराधीन उत्पाद से अलग नहीं किया जा सकता है।
- छ. यह भी नोट किया जाता है कि आवेदक यह सिद्ध करने के लिए कोई आधार अथवा साक्ष्य देने में विफल रहा है कि ईसीएफजी विचाराधीन उत्पाद का भाग नहीं है। इसके विपरीत, घरेलू उत्पादकों ने यह दर्शाया है कि ईसीएफजी क्लीयर फ्लोट ग्लास के व्यापक उत्पाद समूह का मात्र एक सब-सेट है। वस्तुतः आवेदक ईसीएफजी को विभिन्न सौंदर्यात्मक मूल्य वाले ग्लास की भिन्न किस्म के रूप में दर्शाता है। तदनुसार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ईसीएफजी विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र की परिभाषा के अंतर्गत शामिल है, जैसा कि पूर्व जांचों में परिभाषित किया गया है।
- ज. प्राधिकारी ने घरेलू उत्पादकों के अनुरोधों में औचित्य पाया है कि चूंकि वे ईसीएफजी सहित संबद्ध सामानों की विभिन्न किस्मों का उत्पादन कर रहे हैं और इसीलिए ईसीएफजी को उत्पाद क्षेत्र से अलग नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, आवेदक कोई वास्तविक साक्ष्य प्रदान करने में विफल रहे हैं कि ईसीएफजी फ्लोट ग्लास का भाग नहीं है। इच्छुक पक्षों द्वारा किए गए निवेदनों और उसमें उठाए गए मुद्दों और रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालता है कि घरेलू उद्योग चीन पीआर से आयातित ईसीएफजी के समान उत्पाद का निर्माण करता है, और इसे विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर करना उचित नहीं होगा।

निष्कर्ष

24. आवेदकों, उत्तरदाता घरेलू उत्पादकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और उनमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने के बाद; और रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद, तथा उपर्युक्तानुसार जांच के बाद प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि ईसीएफजी को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग नहीं किया जा सकता।

सिफारिश

25. उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी निष्कर्ष निकालते हैं कि ईसीएफजी को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग नहीं किया जा सकता।

आगे की प्रक्रिया

26. केंद्रीय सरकार के आदेशों के विरुद्ध कोई अपील, जो इस सिफारिश के कारण उत्पन्न हो सकती है, अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसरण में सीमा शुल्क, उत्पाद एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

बी.बी. स्वेन, विशेष सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 2020

FINAL FINDINGS

MTR Case No. 01/2020

Subject : Mid-Term Review to review the product scope of definitive Anti-dumping duty imposed on Certain Float Glass originating in or exported from China PR.

F. No. 07/04/2020-DGTR.—1. Mahalaxmi Dyes & Chemicals Ltd (hereinafter also referred to as the 'Petitioner' or 'Applicant') has filed a mid-term review application seeking exclusion of 'Extra Clear Float Glass' (hereinafter referred to as 'EFCG' or 'product under review') from the purview of anti-dumping duty imposed on imports of "Float Glass of thickness 2 mm to 12 mm (both thickness inclusive) of clear as well as tinted variety (other than green glass) but not including reflective glass, processed glass meant for decorative, industrial or automotive purposes" (hereinafter also referred to as the "subject goods" or "product under consideration" or "PUC") from China PR (herein after also referred to as "subject country"). Anti-dumping duty on EFCG from China PR is presently imposed vide Notification No. 47/2015-Customs (ADD) dated 8.9.2015. The current AD duties were in force till 7.9.2020, and they have been extended by three months vide Notification No 29/2020-Customs (ADD) dated 02.09.2020 i.e. till 7.12.2020.

BACKGROUND

2. Vide initiation notification No. 14/19/2002-DGAD dated 5.7.2002, Designated Authority initiated an antidumping investigation concerning import of "Certain Float Glass", originating in or exported from China PR and Indonesia. The Preliminary Findings were issued by the Authority, vide Notification No. 14/19/2002-DGAD dated 20.11.2002 and provisional duty was imposed by the Ministry of Finance, vide Notification No. 7/2003-Customs, dated 7.1.2003. The Final Findings were issued by the Authority vide Notification No. 14/19/2002-DGAD, dated 22.8.2003 recommending anti-dumping duty on imports of 'Float Glass of thickness 2 mm to 12 mm (both thickness inclusive) of clear as well as tinted variety (other than green glass) but not including reflective glass, processed glass meant for decorative, industrial or automotive purposes' from China PR and Indonesia. Ministry of Finance accepted the recommendation and imposed definitive anti-dumping duty vide Notifications No. 165/2003-Customs, dated 12.11.2003 for a period of five years from the date of provisional duty imposition.
3. Before expiry of the said duty, based upon an application from the domestic industry, Designated Authority conducted the first sunset review. Upon investigation, the Final Findings were issued by the Authority vide Notification No. 15/01/2007- DGAD dated 2.12.2008 recommending continuation of anti-dumping duty on imports of subject goods from China PR and Indonesia. Ministry of Finance issued Customs Notification No. 04/2009-Customs dated 6.1.2009 and continued anti-dumping duty on the imports of the above goods, originating in or exported from the subject countries for a further period of five years i.e., up to 5.1.2014.
4. Further, before the expiry of the duty imposed vide Customs Notification No. 04/2009-Customs dated 6.1.2009, based upon an application from the domestic industry, the Authority initiated the second sunset review investigation vide Notification No. 15/24/2013-DGAD dated 3.1.2014. During the pendency of the review, the validity of the anti-dumping duty on the imports of the subject goods from the subject countries was extended by the Ministry of Finance up to and inclusive of 5.1.2015, vide Notification No. 07/2014-Customs (ADD) dated 23.1.2014.
5. Final Finding was issued vide Notification No. 15/24/2013-DGAD dated 02.07.2015, and the Designated Authority recommended continuation of definitive anti-dumping duty at the rate of USD 218/MT imposed on imports of Certain Float Glass, originating in or exported from China PR. The Designated Authority also recommended withdrawal of anti-dumping duty against Indonesia. The said recommendation was implemented by Ministry of Finance vide Notification No. 47/2015-

Customs (ADD) dated 8.9.2015 for a period of five years from the date of the notification. Anti-dumping duty was in force till 7.9.2020 and it has been extended by three months vide Notification No 29/2020-Customs (ADD) dated 02.09.2020 i.e. till 7.12.2020.

PROCEDURE

6. The procedure described herein below has been followed by the Authority with regard to the subject investigation:
- i. The Authority issued a public notice dated 10.2.2020 published in the Gazette of India Extraordinary, initiating mid-term review of the anti-dumping investigation concerning import of the subject goods.
 - ii. The Authority informed the Embassy of China PR in India about the initiation of the subject investigation and requested for further circulation with concerned exporters/producers.
 - iii. The Authority made available copies of the non-confidential petition to M/s Saint-Gobain India Pvt. Ltd., M/s Sisecam Flat Glass India Ltd., M/s Gold Plus Glass Industry Ltd, and M/s. Asahi India Glass Ltd., also considered as the domestic industry in the original investigation.
 - iv. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by the interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties as per Rule 6 (7). Also, in view of the global pandemic and physical inaccessibility, request was made to all the interested parties to share the non-confidential versions of their submissions with other interested parties via email.
 - v. The Authority has examined the information furnished by the Applicant and the Domestic Industry to the extent possible to verify the claims made by the Applicant importer in its application.
 - vi. Since the petition is for limited purpose of exclusion of a certain type of product under consideration, the Authority did not propose to evaluate either the quantum of dumping or injury, therefore stipulation of a POI was not required.
 - vii. Further information was sought from the Applicant importer and the Domestic Industry to the extent deemed necessary. Verification of the data and claims of the Applicant importer was conducted to the extent considered necessary for the purpose of the investigation.
 - viii. Verification of data and claims of the Domestic Industry was also carried out to the extent considered necessary for the purpose of the investigation.
 - ix. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority also provided opportunity to the interested parties to present their views orally in a public hearing held on 20.10.2020. The parties, who presented their views in the oral hearings, were requested to file written submissions of their views expressed orally, followed by rejoinder submissions.
 - x. In accordance with the Rules the Authority disclosed the essential facts of the case before it that forms the basis of its findings in the form of a disclosure statement dated 17.11.2020 and the interested parties were allowed time up to 24.11.2020 to comment on the same. The comments of the interested parties, to the extent relevant, have been considered by the Authority and have been addressed in this finding.
 - xi. ‘***’ in this Final Findings represents information furnished by an interested party on confidential basis, and so considered by the Authority under the Rules.

PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

Submissions made by the Applicant

7. The submissions made by the Applicant are as follows:
- a. The product under consideration defined in the original investigation was “*Float Glass of thickness 2 mm to 12 mm (both thickness inclusive) of clear as well as tinted variety (other than green glass) but not including reflective glass, processed glass meant for decorative, industrial or automotive purposes.*” Both ordinary Float Glass and Extra Clear Float Glass are classified under the category “Glass and Glassware” in Chapter 70 of the Customs Tariff Act, 1975 and further under 7005 as per Customs Classification.

- b. The applicant has sought exclusion of 'ECFG' claiming that the said product does not form part of the product scope as defined in Final Findings- Notification No: 15/24/2013-DGAD dated 02.07.2015.
- c. The Applicant has defined ECFG as "Extra clear, low-iron float glass, which is practically a colourless glass with negligible greenish tint visible on the edge and having a higher degree of light transmission and transparency achieved usually by reducing iron content in the glass. Extra clear float glass is also known in the market as 'Ultra Clear Float glass' or 'Low Iron Float Glass'" (also referred to as product under review).
- d. The Applicant also placed reliance on RTI Reply dated 16.8.2018 received from DIPPI, Ministry of Commerce, which also confirms that none of the glass manufacturers in India make Ultra Clear Glass. It is further submitted that even CESTAT (Ahmedabad) has given a clear ruling in Jajoo Architectural Glass Pvt Ltd vs CC-Ahmedabad on ECFG being a different product than CFG and same to be adopted by DGTR.
- e. There are significant differences between CFG and ECFG in terms of prices, technical aspects, such as raw material composition, production process, physical and chemical properties and other characteristics.
- f. That the Domestic Industry will not suffer any injury if ECFG will be excluded from the levy of anti-dumping duty, as the exclusion does not have any injurious effect on domestic industry. There is low demand for ECFG in India and no volume injury to the domestic industry will be caused as the imports comprise of less than 1% of imports. Similarly, in terms of price, there is no possibility of any adverse price effect to the domestic industry as the prices of ECFG imports are more than 2.5 times the CFG manufactured and sold by the Indian producers.
- g. That a separate BIS standard has been proposed for ECFG and Applicants had relied upon the said draft BIS for ECFG issued in February 2019 to substantiate their request for exclusion. Similar reliance was placed on Australian AD Commission, wherein Australian Authority has excluded low iron glass from the scope of anti-dumping duty.
- h. That the Authority in a recently issued final finding excluded low melting yarn because Domestic Industry conceded that they have not produced the same even though they hold capability to supply the same and the only reason why domestic industry did not supply was the lack for orders from consumers and the fact that the price of such yarn is much higher than the price of other yarns. Similar reliance was also placed on the decision by CESTAT in Indian Refractory Makers Association 2000 (119) ELT 319 (TRI).
- i. That there is no merit in the argument of the domestic producers that Chinese producers' non-participation reflects that there is no difference in PUR and PUC, as they have sourced information from market research and sources, and have also included information supplied by Chinese producer, who have stated that ECFG was not commercially produced before 2005 and there exists significant differences in ECFG and CFG in terms of physical as well as manufacturing process-wise.
- j. That even the Manual of SOP issued by DGTR provides, mere competence without any production or merchant sales may not be sufficient to include an item in the definition of the PUC.
- k. That the Domestic Industry is not producing ECFG and, therefore, it ought to have been excluded as per the consistent practice of the Authority. Needless to say, that an 'unlike article' would never form a part of the Product under Consideration in the first place and, therefore, cannot be subject to anti-dumping duties.

Submissions made by the Participating Domestic Producers

8. The domestic producers have made the following submissions:
 - a. That since one of the domestic producers had actually produced and sold the ECFG and therefore, there is no occasion for the Authority to exclude the ECFG from the scope of the PUC. It is further submitted that the other producers of the PUC also have the capability to produce PUR which also supports the point that PUR cannot be excluded from the scope of the PUC. It is also submitted that even in the written submission filed by the applicants, at several places the applicants have themselves admitted that domestic producers are indeed producing the PUC as well as PUR.

- b. That it is important to note that none of the exporters participated in the investigation to assist the Authority to reach to the conclusion relating to like product, difference in manufacturing process, raw materials, difference in technology, cost associated with PUC and PUR, which is of critical importance in limited mid-term review investigation concerning exclusion of product. In view thereof, the Authority should reject the submission made by the users, as the same are not only incorrect and contrary to the jurisprudence available on the subject, but also not substantiated by any producer from China PR with material evidence. On account of such non-participation and non-cooperation on part of the exporters, the domestic producers had requested that the Authority should reject the submissions made by users.
- c. That the definition of the product under consideration includes all types of Float Glass except exclusion carved out from the scope of the product under consideration. It is further submitted that since the Domestic Industry is producing the “Extra Clear Float Glass”, the question of its exclusion does not arise and therefore, the domestic producers requested the Authority to terminate the investigation at this stage itself.
- d. That the product scope is not at all vague and is defined in the most precise manner covering the product which is causing injury to the Domestic Industry. Moreover, the fact that Extra Clear Float Glass (ECFG) as a product variant was indeed in existence even before the initiation of original investigation, proves the fact beyond any doubt that ECFG was very much part of PUC. It is further submitted that if the Chinese producers had started the production of ECFG since 2005 and if ECFG was not a clear float glass, why the issue was not raised in any of the previous investigations. In written submissions, domestic producers comprising domestic industry have reiterated that one of their constituent domestic producers has produced and supplied the ECFG in the market and others have the capability to produce and supply in the market and therefore, ECFG cannot be excluded from the scope of the product under consideration.
- e. In relation to the certification by one of the Chinese Producers that China PR is producing ECFG since 2005, the Domestic Industry has submitted that this fact is of no consequence as the applicant has failed to prove that the ECFG is not a variant or subset of the PUC. As regards the existence of ECFG as a product variant, it is not relevant as to when did China PR start the production of the same. As a matter of fact, the product was indeed manufactured by the technology supplier of the Domestic Industry and, therefore, the existence of the specific variant of the PUC as a product, is not in question. It was not produced in India earlier as there was no demand for the same. Now when there is demand, domestic producers are producing and supplying the same in the market.
- f. That one of the domestic producers namely SGIPL has imported very miniscule percentage of ECFG from China PR after paying applicable anti-dumping duties only for internal use – to make lacquered and coated glasses. SGIPL has not used any part of imported ECFG for reselling or other trading purposes.
- g. That the RTI reply annexed by the Applicant is of no significance in the instant case for two reasons. Firstly, Saint Gobain India Pvt. Ltd. (SGIPL) is not part of that association and, therefore, the information relating to the said producer could not have been a part of the RTI reply. Secondly, the query pertains to very old period and the applicant has admitted the fact that there is no dispute that SGIPL has produced and sold ECFG.
- h. That the reference to Manual of SOP by applicant is misplaced and based on the wrong appreciation of facts and therefore, the same needs to be rejected. It is further submitted that since SGIPL has actually produced and supplied the ECFG, the paragraph relied upon by the applicant actually supports the case of Domestic Industry.
- i. That from the submissions of the applicant, it appears that they are trying to ride several horses at the same time. At times, the argument is that they are merely seeking a clarification in respect of the PUC. In the very same breadth, it is argued that the PUC never included ECFG. The confusion is further confounded as they are also trying to make out a case of exclusion which, by definition, presumes that the PUR was indeed included in the PUC in the very first place. The Domestic Industry further submitted that each of the grounds for a mid-term review has different implications in terms of the factual and legal premises and the Domestic Industry has a right to comment upon the same. Since the application of the importer suffers from the vice of ambiguity, both legal and factual, the investigations ought to be rejected on this ground alone.

- j. That in relation to the submission about collection of anti-dumping duty on ECFG imported into India, Domestic Industry has submitted that the Customs Authorities are collecting anti-dumping duties on imports of ECFG when the same is imported from China PR, and other countries from where anti-dumping duties are applicable. Moreover, SGIPL has also paid anti-dumping duties for the small quantities they had imported from China PR for their internal consumption for value added products. Therefore, the statement that recently Customs are charging anti-dumping duties is not only irrelevant but incorrect and, therefore, needs to be rejected outrightly.
- k. The Domestic Industry has submitted that the reference of decision of the CESTAT in Jajoo Architectural Glass Pvt. Ltd. V. CC Ahmedabad, has no relevance in the instant investigation for the reason that the said judgement was not made by Principal Bench of CESTAT, which is the only legal authority to pass orders in the context of anti-dumping matters in terms of Section 9C of the Customs Tariff Act, 1975. Moreover, it cannot be overlooked that the decision of the CESTAT bench was passed without even making either the DGTR or the Domestic Industry as a party to the proceedings. Accordingly, the Domestic Industry submits that the said decision of the Hon'ble Tribunal is not only without jurisdiction but also does not have any bearing on the present findings which have not been and could not have been modified by the Hon'ble Bench of the CESTAT. The Domestic Industry also points out that a writ petition has already been filed in the Gujarat High Court challenging the CESTAT order. In view thereof, Domestic Industry humbly submits that the said CESTAT order, not having been passed under Section 9C of the Customs Tariff Act, has no bearing on the current proceedings.
- l. That the Applicant has compared one subset of product under consideration with other subset of the product under consideration, without appreciating the principles of fair comparison as envisaged under paragraph 6 of Annexure-I to the Anti-dumping Rules and Article 2.4 of the Anti-dumping Agreement. It is further submitted by the Domestic Industry that the ECFG imported from China PR is severely undercutting the prices of the Domestic Industry when proper comparison is made. Moreover, the landed value of ECFG is significantly below the fair selling price of ECFG sold by the Domestic Industry. Thus, ECFG imported from China PR is also injuring the Domestic Industry and hence, cannot be excluded from the product scope.
- m. It is further submitted by the Domestic Industry that if the proposition advanced by the Applicant is accepted then in that case, the Authority will have to exclude all products having different specification with price differences in each and every case. This would be in serious violation of the concept of fair comparison and PCN-based analysis which is well-enshrined in the anti-dumping laws, jurisprudence and practice. The domestic industry has submitted that mere price difference between two subsets of the same product cannot become a ground for exclusion.
- n. That the applicant has misunderstood the production process and the requirements of inputs to produce all variants of the subject goods. It is submitted by the Domestic Industry that merely because of less iron content in the one subset of the product under consideration, it does not make it a case for exclusion. Moreover, it is important to note that it remains undisputed that the raw materials used to produce the subject goods are same. The slight differences in the specification (iron content) of some of the inputs do not make the product different. It is further submitted that even for the Glass manufactured by different players in India, the iron content is different. Therefore, difference in the iron content does not render ECFG as a separate product justifying its exclusion. As a matter of fact, even if the raw material for different subsets are significantly different, this cannot be a ground for exclusion. The Domestic Industry submits that the above submissions are without prejudice to their contention that the entire case of the applicant falls flat in view of the admitted fact that the Domestic Industry is producing the said variant of the PUC.
- o. In addition to above, it is submitted that the as per the Applicant's own admission, the difference between the import prices of ECFG from China PR and from other countries is very huge. This further proves that even the alleged higher prices of ECFG from China PR will be injurious to the Domestic Industry when a proper comparison is made in terms of the established principles of comparison. From the information on record, it is amply evident that the ECFG imported from China PR is severely undercutting the prices of the Domestic Industry. Moreover, the margin of price underselling is also significant. Thus, Chinese imports of ECFG are also injuring the

Domestic Industry. In view thereof, the Domestic Industry requests the Authority to terminate this investigation.

- p. The manufacturing process and inputs required to produce ECFG or any other variant of PUC are identical. The ratio of the two types of iron is important in all categories of glasses, and it is not something peculiar to ECFG. The addition of the chemicals, such as CeO₂, sodium sulfate and sodium nitrate mentioned in the written submission for the purpose of chemical decolorization of ECFG are also added in production of normal Clear Glass.
- q. That the manufacturing process to produce ECFG or any other variant of PUC are identical. It is further submitted that different types of glass may require adjustments in the parameters which, in any case, do not make the manufacturing different. In any case, the argument of the applicant is also completely misplaced as it is a settled principle of law that the products do not become unlike merely because the production processes are different.
- r. That in relation to the claim of different BIS standards, Domestic Industry has submitted that the argument is completely misconceived and flawed. The product under consideration in anti-dumping investigations are not governed by the BIS standards. It is not uncommon to have different BIS standards for the product variants of the very same Product under Consideration. The purpose of BIS is for setting quality standards and norms. Further, even the BIS standards for ECFG, to the best of the information of the Domestic Industry, are still in draft stage. In any case, the applicant has failed to give any ground, let alone any evidence, to establish that the ECFG is not clear float glass. This is without prejudice to the fact that SGIPL is producing ECFG.
- s. That the Applicant has tried to mislead the Authority by comparing normal Clear Float Glass with ECFG. However, to substantiate differences, Applicants ought to have made comparison between ECFG produced by SGIPL and imported by them. Since no such exercise was undertaken, all such arguments need to be rejected as the same are based on incorrect comparison.
- t. It is submitted that ECFG produced by SGIPL and imported by Applicant are like articles. Moreover, importers in India prefer to buy ECFG from China PR solely for the reason of price. It is submitted that the arguments related to price difference is misplaced and hence need to be rejected. It is important to note that the applicant has filed the application for exclusion of ECFG which by itself, is an admission that the same was always a part of the Product under Consideration
- u. That the domestic producers in Australia have not included “Low Iron Glass” as part of product under consideration, and, therefore, reliance on Australian Float Glass Case does not advance the case of the Applicant. Moreover, product under consideration of one information cannot be a basis for inclusion or exclusion of any product.
- v. Domestic Industry has submitted that by deciding to not participate in the instant investigation and also in the ongoing sunset review investigation, the exporters strategically withheld the critical information relating to subsets of the PUC and their manufacturing process and difference in inputs. Since none of the exporters has assisted the Authority by providing actual data/information or the production process, the Domestic Industry humbly requested rejection of mid-term review investigation.
- w. That since none of the interested parties had challenged the previous findings, in any court of law, the decision taken in that investigation attained finality. Further, the provision of the mid-term review is made to seek amendment in the previous findings, provided there are reasons to believe that facts and circumstances prevailing at the time of previous completed investigation have changed. In view thereof, since the applicant has failed to show any change in the facts and circumstances that requires exclusion of ECFG post final findings of the Authority in 2015, the submissions advanced by the Applicant is devoid of any merit and therefore, need to be rejected.
- x. That the Authority may conduct any required verification or test to examine the factual position of the issue at hand. In fact, the Applicant has been changing the required specifications of the subject product frequently which shows the intention of the Applicant is only to avoid the duties and there are no merits in their contentions.

Examination by the Authority

9. The Authority has carefully examined the scope of the Product under Consideration in the original investigations from which an exclusion has been sought. While defining the scope of the PUC, the Authority in of the initiation notification has mentioned an exhaustive list of specific categories of Float Glass which have been excluded from the product scope. They are reflective glass, processed glass meant for decorative, industrial or automotive purposes.
10. In the present application, the applicant has sought an exclusion of Extra Clear Float Glass (referred to as ECFG or PUR). The application mentions the following grounds of review under the heading “grounds of review”:
 - a) ECFG or low iron glass are different in physical appearance as ECFG is ultra-clear whereas Clear float glass is affected by a slight green tinge.
 - b) There is higher degree of light transmission in ECFG as compared to Clear Float Glass.
 - c) ECFG or ultra-clear float glass product contains 75% less iron content as compared to standard clear float glass. The typical iron content in silica sand used for CFG in around 650 ppm to 850 ppm whereas for ECFG, it is around 100 ppm to 200 ppm. Most of the iron oxide content present in silica sand is removed for manufacturing ECFG.
 - d) A separate BIS standard has been proposed for ECFG.
 - e) Domestic Industry did not produce Extra Clear Float Glass at the time of original investigation as well as until the conclusion of last sunset review investigation. According to the information available with the applicants, the domestic industry is importing significant quantities of ECFG and reselling them in India.
 - f) Since ECFG was neither produced by the Indian domestic industry nor imported into India at the time of original investigation, the existing measures do not cover ECFG.
 - g) Import prices of ECFG are significantly higher than that of CFG, indicating that they are not substitutes for each other in the marketplace.
 - h) ECFG and Clear Float Glass is advertised differently by companies worldwide and market perception is also quite different.
 - i) Applicant claims that application of ECFG is completely different from normal CFG applications. It is further claimed that several applications can only use ECFG due to the functional and aesthetic limitations of CFG. Such applications are glass for solar panels that require maximum light transmissions, glass for light fixtures, viewing glasses, space applications, etc.
 - j) CESTAT Ahmedabad vide order no. A/11068-11069 /2019 dated 05.07.2019 has held that “Extra Clear glass” is altogether a different variety of glass as compared to Clear Float glass and as a result, concluded that anti-dumping duty is not payable on imports of ECFG.
 - k) ECFG has been excluded by other jurisdictions, such as Australia, wherein number of variants, including low iron glass (or extra clear float glass) were excluded from the scope of anti-dumping measures on Clear Float Glass in nominal thicknesses of 3 to 12 millimeters (mm).
 - l) Applicant has claimed that levy of anti-dumping duty on ECFG is adverse affecting his business as anti-dumping duty is being levied on imports of ECFG though no domestic alternative is available in the market.
11. The first issue for the consideration of the Authority is whether the ECFG was at all a part of the PUC in the original investigations or not. In this context, it is noted that the principal arguments of the applicant are two-fold. One, that ECFG was not produced in China PR prior to 2005 and, therefore, the same could not have been a part of the PUC. Two, even the Domestic Industry did not produce ECFG during the original period of investigation. Before deliberating on this issue, it is important to consider whether ECFG can be considered as a part of the PUC or not. In this regard, the following examinations have been made.
12. It is noted from the examination of submissions on record that the technical specifications of the ECFG are more refined as compared to the standard clear float glass. It is also not disputed that the

raw material used is also of a higher standard or purity. At the same time, the production parameters are also stricter to get the desired quality/specifications of the glass. Even if all these contentions are accepted, the only inescapable conclusion that can be drawn is that ECFG is merely a subset of the larger category of float glass (PUC).

13. Having considered that ECFG is merely a subset of the PUC, the contentions of the applicants has been examined. The claim of the petitioner that ECFG was not manufactured in China PR and not exported to India before 2005 is of no consequence as this issue was never raised during any of the previous investigations. Moreover, SG IPL, the domestic producer, which is a constituent of the domestic industry, is currently producing ECFG, and has submitted details of production of ECFG and domestic sales made by them.
14. In relation to enclosed certificate by one of the Chinese manufacturers, it is noted that since the said producer has not participated in the investigation, the same has little relevance in the current investigation, as the claim made by them could not be verified by the Authority.
15. As regards the fact that the proposed BIS for ECFG is different, the Authority agrees with the contention of the Domestic Industry that different BIS standards *per se* for the different subsets within the PUC are of little consequence in anti-dumping investigations. It is not uncommon to have different BIS standards for the product variants of the very same Product under Consideration. The purpose of BIS is for setting quality standards and norms and cannot influence the scope of the PUC. Further, though of no consequence, even the BIS standards for ECFG are admittedly still in draft stage. In any case, the applicant has failed to give any ground, let alone evidence, to establish that the ECFG is not clear float glass.
16. The Authority is of the view that one of the principal criteria for exclusion of any product from the purview of the Product under Consideration is whether the Domestic Industry is manufacturing the same or not. In this context, it is noted that the Domestic Industry has indeed produced and sold ECFG in reasonable quantities prior to the filing of this application. This fact has been verified from the records of the company. In fact, the applicant has also not disputed the fact that one of the domestic producers has produced and sold the PUR. The fact that they did not produce ECFG during the original POI is not relevant for the purpose of this investigation.
17. As regards the contention that the use of the ECFG is different from that of the standard glass, the evidence on record indicates to the contrary. It was demonstrated by the Domestic Industry through the submission filed by them, that the ECFG can easily be used for the applications where traditionally clear float glass is being used. It may, in any case, be mentioned that usage of a particular subset of the PUC for a particular purpose, cannot be a ground for exclusion so long as the same is a part of the PUC. The fact that producers produce different variants of the PUC, is only because the specific usage could be different. As mentioned earlier, the fact remains that the Domestic Industry has been producing the said variant of the PUC and has submitted evidence of the same during the investigations.
18. With regard to the claim that the prices of ECFG are much higher than those of the standard clear float glass, the Authority is of the view that even if the contention of the applicant is accepted, the only consequence is that the price comparison has to be done in an appropriate manner as envisaged under paragraph 6 of the Annexure I of the Anti-dumping Rules and Article 2.4 of Anti-dumping Agreement. In this context, it is important to reiterate that there has been no participation by any of the Chinese producers/exporters either in this mid-term review or the parallel sunset review against China PR. No detailed verifiable information has been produced by any of the interested parties to carry out a detailed price comparison as envisaged under the Rules.
19. Without prejudice to the above, the Authority has called the DG Systems import data to analyze the claim of the petitioner that due to varied thickness in single bill of entry, import prices from DGCI&S do not give correct position of import prices, as DGCI&S reports only one thickness in one bill of entry. The Authority has found credence in the request of the petitioner that DGCI&S import data may not reflect true import prices in all transactions. After examining the information as made available by the petitioners, DGCI&S and DG systems, it is noted that though the prices of the ECFG reflected in the import transactions have been found to be higher than subject goods, these are nowhere as high as claimed by the petitioners. Moreover, as indicated above, in the absence of any

verifiable information about export price, the contention of price difference could not be further substantiated.

20. As regards the reference to the decision of the CESTAT in Jajoo Architectural Glass Pvt. Ltd. V. CC Ahmedabad, it is noted that said judgment has neither changed the final findings nor modified the product under consideration. In any case, only the Principal Bench constituted under Section 9C has the jurisdiction to either amend or modify the final findings of the DGTR.

Post Disclosure Comments:

Submissions of the Applicants:

21. The following submissions have been made by the Applicants:
- a. That the Authority has already made up its mind to reject the application, without waiting for comments on disclosure statement from the parties, this has made the comments on disclosure statement useless.
 - b. That the Authority's examination with respect to price difference violates principles of natural justice being non-speaking as well as is without any application of mind.
 - c. The Authority's examination with respect to issue of production of ECFG during the original investigation as well as post original investigation is without any application of mind and violates principles of natural justice.
 - d. That the Authority's examination with respect to accepting domestic industry's contention of present production of ECFG, is completely irrelevant and inconsequential considering the facts of present case.
 - e. That the Authority's conclusion with respect to product characteristics of ECFG is incorrect.
 - f. That the Authority's examination with respect to substitutability in terms of usage is based on incorrect appreciation of facts on record.
 - g. That the Authority's examination with respect to non-applicability of BIS Standards is incorrect.
 - h. That the Authority's examination with respect to non-applicability of CESTAT decision in Jajoo Architectural Glass is incorrect and needs to be reconsidered.
 - i. That the Authority's insistence on participation by Chinese producers/exporters has absolutely no bearing in the present review.
 - j. That the Authority has relied upon the rejoinder submission of the domestic industry which comprises of new submissions, which has been relied upon by the Authority but not disclosed to the Applicants. Whereas, the Authority has neither considered nor addressed several submissions of the Applicants in the disclosure statement.
 - k. That the Authority should address that when there was no production of ECFG by domestic producers in India and imports into India of ECFG during the first investigation, how ECFG is said to be included in the PUC. It is further submitted that the current investigation is not for examining whether antidumping duty can be imposed on ECFG, it is to examine whether the 'existing' antidumping duties can be applied on ECFG or not.

Submissions of the participating domestic producer

22. The following submissions have been made by the domestic producers:
- a. That since the domestic producers are producing the all variants of the subject goods including ECFG, the question of any exclusion from the scope of the subject goods cannot be entertained or accepted. In view thereof, domestic producers requested that the request of exclusion of ECFG from the product scope should be outrightly rejected
 - b. That the applicant has failed to provide any basis or evidence to prove that ECFG is not a part of the PUC. On the contrary, the domestic producers have shown that ECFG is merely a subset of the larger product group of clear float glass. In fact, the applicant also refers to ECFG as a different variety of glass having different aesthetic value. Accordingly, it is important to note that

ECFG is covered under the definition of the scope of the Product under Consideration as defined in the earlier investigations.

- c. That the specifications mentioned by the Applicant from BIS is factually incorrect, as the same is still in the draft stage and not accepted. Secondly, domestic producers are producing all variants of the subject goods, which meets all the requisite existing standards.
- d. That the Applicant has not provided even a single evidence that their request of purchase or query was rejected by the domestic producers. On the contrary, Applicants and their so-called supporters have not bought the subject goods from domestic producers, only because of the cheap and dumped imports coming from China.
- e. That the applicant itself in their submissions has accepted that one of the domestic producers namely, Saint Gobain India Pvt. Ltd. is producing the ECFG, the variant of the subject goods for which Applicant is seeking exclusion. This self-admission leaves no opportunity for the Authority to accept their request of exclusion.
- f. That the price comparison drawn by Applicant between Extra Clear Float Glass and Clear Float Glass is wrong and misleading, because, the Applicant is comparing ECFG imported from China with Clear Float Glass (CFG) imported from China and produced and sold by the domestic producers. If the prices of ECFG produced by domestic producers and imported from China or any other country is compared, there will be no difference as claimed by the Applicant.
- g. That even if the contention of the Applicant is accepted, the only consequence is that the price comparison has to be done in an appropriate manner as envisaged under the Anti-dumping Rules and Article 2.4 of Anti-dumping Agreement. It is further submitted that as per the best of our knowledge of domestic producers, DGTR or any other agency around the world, has not excluded a product on the ground that the *inter se* prices are different. A different approach will have serious implications for other investigations wherever there is price variation between the different variants of the PUC.
- h. That in anti-dumping investigations, a product can be excluded only if the same is not manufactured by the domestic producers and also are not commercially and technically substitutable or domestic producers do not have the capability to product the subject goods.
- i. That since none of the producers / exporters has participated in the investigation, the Authority could not verify the information vis-à-vis Chinese producers. In view therefore, it is requested that the Authority should reject the claims of the Applicant and terminate the investigation.

EXAMINATION BY THE AUTHORITY

23. The post disclosure submissions have been received from the interested parties, and it is noted that the most of the issues raised are reiterations and have already been raised earlier and also addressed appropriately in the disclosure statement and also in these final findings. Additional submissions have been analyzed as under:
 - a. With regards to the contention of the Applicant that the Authority has already made up its mind to reject the application, without waiting for comments on disclosure statement from the parties, it is noted that the same is not correct as the Authority has merely disclosed the facts and its understanding based on the submissions received from all the interested parties, so that all interested parties can provide their comments based on that and also point out if any material fact is left, which is essential for the final consideration of the Authority. In view thereof, the contention that the Authority has already made up its mind holds no merit.
 - b. In relation to the submission that the Authority has issued disclosure statement without application of mind, it is noted that in terms of the Rule 16, the Authority disclosed all essential facts to the interested parties for their comments, which may form the basis of its decision. Therefore, the understanding of the Applicant is incorrect and is without merit.
 - c. In relation to the submission regarding non-relevance of the participation by Chinese producers/exporters in the instant investigation, it is noted that since the ongoing investigation involves examination of prices, which varies due to thickness, production

technology and production process, the participation by the Chinese producers / exporters was quintessential, particularly when domestic producers have contested the claims provided by the Applicants.

- d. As regards the contention of the Applicant that the Authority has relied on new submissions of the domestic producers provided in the rejoinder submissions without disclosing to them, and have not considered their submissions, it is noted that the same are factually incorrect. The disclosure statement is not an ad verbum representation of all the submissions of the interested parties. The Authority has considered all the submissions in the disclosure statement to the extent considered relevant and essential for its determination for the final decision.
- e. In relation to the submission regarding inclusion of the ECFG in the PUC despite non-production of ECFG by domestic producers in India and imports into India of ECFG during the first investigation, the Authority notes that the Applicants have failed to substantiate that ECFG is not part of the Float Glass as defined in the earlier findings. Further, it is noted that the domestic producers have provided evidence of actual production and supply of the same during this mid-term investigation. Therefore, the issue concerning past investigations has no relevance for the present findings, particularly when no interested party has ever challenged those findings on this issue. In view thereof, the contention raised by the Applicant is devoid of any merit.
- f. In relation to the issue of price comparison, it is noted that the comparison made by the Applicant between Extra Clear Float Glass and Clear Float Glass is not appropriate. In this context, it is also noted that when proper comparison is made between ECFG imported from China, and domestic like product produced by domestic producer, there will be no difference as claimed by the Applicant. With regard to determination of landed price of ECFG imported from China PR, it is noted that the Authority has also analysed the import data relied upon by the Applicant which have been procured from secondary sources. It is noted from the analysis that though the prices of the ECFG reflected in the import transactions have been found to be higher than subject goods, these are nowhere as high as claimed by the petitioners. It may also be added that the Authority for the purpose of price determination of ECFG imported from China PR had not gone by DG systems data, and that DG systems data has been used only for the limited purpose of verifying the claims made by the applicants, and not for the final determination. As has been pointed out, the Authority has already accepted the claims of the petitioners with respect to information submitted by them regarding higher price of ECFG vis a vis clear float glass. In any case, the exclusion of a particular variant of the product from the PUC cannot be made only on price variation.
- g. It is further noted that the applicant has failed to provide any basis or evidence to prove that ECFG is not a part of the PUC. On the contrary, the domestic producers have shown that ECFG is merely a subset of the larger product group of clear float glass. In fact, the applicant also refers to ECFG as a different variety of glass having different aesthetic value. Accordingly, the Authority notes that ECFG is covered under the definition of the scope of the Product under Consideration as defined in the earlier investigations.
- h. The Authority has found merit in the submissions of the domestic producers that since they are producing the all variants of the subject goods including ECFG, and therefore, ECFG cannot be excluded from the product scope. Moreover, the Applicants have failed to provide any material evidence that ECFG is not part of the Float Glass. After examining the submissions made by the interested parties and issues raised therein and considering the facts and evidences available on record, the Authority concludes that the domestic industry manufactures the like product to the ECFG imported from China PR, and it would not be appropriate to exclude the same from the scope of the product under consideration.

Conclusion

24. After examining the submissions made by the applicants, responding domestic producers and other interested parties and issues raised therein; and considering the facts available on record, and its examination as above, the Authority concludes that the ECFG cannot be excluded from the scope of the product under consideration.

Recommendation

25. In view of the above, the Authority concludes that ECFG cannot be excluded from the scope of the product under consideration.
26. An appeal against the order of the Central Government arising out of this Final Findings Notification shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Customs Tariff Act, 1975.

B. B. SWAIN, Spl. Secy. & Designated Authority